वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

विनियामक मंच
FORUM OF REGULATORS

विनियामक फोरम (एफओआर)

वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

विनियामक फोरम

विनियामक फोरम (एफओआर)
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ),
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग,
36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाषः +91–11–23753920
फैक्सः +91–11–23752958

प्रस्तावना

वर्ष 2016–2017 के दौरान, विनियामक फोरम (एफओआर) ने विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श करने और विवेचनीय विषयों पर आगे बढ़ने के लिए सहमति तैयार करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखा। फोरम ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए पर्याप्त उपाए किए।

विनियामक फोरम ने ''सीजीआरएफ और लोकपाल की कार्यप्रणाली की समीक्षा'' के संबंध में एक अध्ययन शुरू किया था। अध्ययन ने शिकायतों के ''समालोचनात्मक'' और ''गैर–समालोचनात्मक'' में वर्गीकरण, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों और लोकपाल की कार्यप्रणाली की आवधिक निगरानी और समीक्षा, प्रचलित वृद्धि संरचनाओं के संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूकता प्रदान करने के लिए उपभोक्ता सलाहकार समितियों का गठन और संबंधित निकाय को शिकायतों के प्रस्तुतिकरण के लिए संस्तुत किया। ये समितियाँ कई उपभोक्ताओं, विशेषकर ग्रामीण उपभोक्ताओं की ओर से शिकायतों के निपटान को सुकर बना सकती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अंतरिम राहत प्राप्त करने में सहायता करने के अलावा फाईल करने और वृद्धि के लिए प्रमाण बनाए रखने में मदद करती हैं। यह भी सिफारिश की गई थी कि सीजीआरएफ को एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट प्रदेशों में अनुसूचित पर्यटन का संचालन करने के लिए सुकर बनाया जा सकता है, जिससे प्रत्येक प्रदेश से शिकायतों और फीडबैक के अधिकतर प्रवेश का समुचित आधार प्राप्त हो सके। सीजीआरएफ पर संकल्प के बोझ को कम करने के लिए, उपभोक्ताओं और अनुज्ञप्तिधारियों के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से भी शिकायतों का समाधान किया जा सकता है।

फोरम ने ''वितरण घाटे में कमी के लिए कार्यनीतियों और सर्वोत्तम अभ्यासों पर एक अध्ययन'' शुरू किया। अध्ययन ने वितरण की हानियों के प्रमुख घटकों और वितरण यूटिलिटीज के प्रदर्शन के विभिन्न प्रमुख संकेतकों की जांच की। अध्ययन ने यूटिलिटीज द्वारा हानि में कमी के लिए उठाए गए विभिन्न पहलों का भी विश्लेषण किया जिनका प्रत्येक प्रकार की हानि के लिए और प्रत्येक प्रकार के उपभोक्ता वर्ग के लिए अधिकतम प्रभाव हो सकता है। वाणिज्यिक हानियों में सुधार के भाग के रूप में, अध्ययन ने विभिन्न उपाय सुझाए, जिनमें संयोजन प्रदान करने की पहल, नियमितीकरण योजना, योजना की अधिभार छूट, ब्याज छूट योजना आदि शामिल हैं।

फोरम ने राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति में यथाधिदेशित कार्यन्वयन के लिए एक रोडमैप तैयार करने और परिनियोजन पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने और राज्य स्तर पर पवन और सौर उत्पादनकारी स्टेशनों पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन के कार्यान्वयन और राज्य स्तर पर उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के आरंभ / कार्यान्वयन के लिए दिनांक 18 नवंबर, 2015 को एक तकनीकी समिति का गठन किया था। इस वर्ष, फोरम ने विद्युत में संव्यवहारों के अनुसूचीकरण, लेखांकन, मीटरिंग और व्यवस्थापन पर मॉडल प्रणाली के संबंध में तकनीकी समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी, जिसमें राज्य स्तर पर एसएएमएएसटी के कार्यान्वयन के लिए कार्यगति, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन की आवश्यकता के डिजाइन के लिए भी व्यवस्था है। फोरम ने राज्यों के लिए विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डीएसएम) पर एक मॉडल विनियमों को भी प्रकाशित किया।

फोरम ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली–प्रक्रिया के माध्यम से अपनाए गए उत्पादन टैरिफों की समीक्षा करने और बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों के लागू होने से देश भर में कॉस्ट प्लस मॉडल के आधार पर निर्धारित करने के दायरे के साथ ''प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ की तुलना में कॉस्ट प्लस टैरिफ – समालोचनात्मक विश्लेषण'' पर एक अध्ययन शुरू किया। इस दायरे में टैरिफ के घटकों का पता लगाने के द्वारा प्रवृत्ति विश्लेषण की तैयारी, टैरिफ अवधारण के दोनों दृष्टिकोणों की तुलना के लिए मानकों को विकसित करना, कॉस्ट प्लस दृष्टिकोण के अधीन केविविआ द्वारा अवधारित टैरिफ के साथ बोली के माध्यम से पता लगाए गए टैरिफ की तुलना और निष्कर्षों का गंभीर विश्लेषण करना भी शामिल है। अध्ययन के भाग के रूप में, प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बोली परियोजनाओं और लागत प्लस परियोजना के बीच तुलना के चार सेट किए गए थे, जिसमें केस –1 (लैंको बाबांध बनाम सीपत स्टे.1 एवं एस्सार महान बनाम उडुपी) और केस –2 (तलवंडी साबो बनाम सीपत स्टे.1 एवं सीएलपी झज्जर बनाम आईजीएसटीपीपी झज्जर) के रूटों के अधीन ईंधन स्रोत, इकाई आकार, विंटेज और डेटा की उपलब्धता आदि शामिल थे। परियोजनाओं की एक विस्तृत जोखिम प्रोफाइलिंग तैयार की गई, जिसमें ईंधन, असंकुचित विद्युत, पारेषण क्षमता की पर्याप्तता, बाजार व्यवहार, नीति, वित्तपोषण लागतें, विदेशी मुद्रा, वितरण कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य, अन्य अनियंत्रित कारक (अर्थात पर्यावरण, राजनीतिक) आदि से जुड़े जोखिम शामिल थे।

फोरम द्वारा की गई पहलों की पृष्ठभूमि में, प्राथमिक रूप से उत्तरदायित्व अब कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अध्ययनों की सिफारिशों को अपनाने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों / संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों का है। फोरम इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचारविमर्श करने में लगा है ताकि उन विवेचनीय मुददों पर कार्यान्वयन योग्य समाधानों का पता लगाया जा सके जिससे विद्युत क्षेत्र में चहुमुखी विकास में बाधा पहुंच रही है। हम फोरम के आदेश को पूरा करने में सभी स्टेक होल्डरों से सतत सहायता की अपेक्षा करते हैं।

अध्यक्ष, विनियामक फोरम

विषय सूची

1. **विनियामक फोरम** 7

2. **विनियामक फोरम की गतिविधियां** 9

2.1 विनियामक फोरम की बैठक 9

दिनांक 7 अप्रैल, 2016 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित विनियामक फोरम की 54वीं बैठक 9

दिनांक 22 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 55वीं बैठक 9

दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 56वीं बैठक 10

दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित विनियामक फोरम की 57वीं बैठक 11

दिनांक 27 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 58वीं बैठक 11

2.2 पूरे किए गए अध्ययन 12

वितरण हानि में कमी के लिए सर्वोत्तम अभ्यास और कार्यनीतियां 12

विद्युत में संव्यवहारों का अनुसूचीकरण, लेखांकन, मीटरिंग और व्यवस्थापन (एसएएमएएसटी) 12

सीजीआरएफ और लोकपाल के संचालन की समीक्षा 13

प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ की तुलना में कॉस्ट प्लस टैरिफ–समालोचनात्मक विश्लेषण 14

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम 15

दसवां क्षमता निर्माण कार्यक्रम दिनांक 13 से 15 अक्तूबर, 2016 को आईआईटी कानपुर आउटरीच केंद्र, नोएडा में और उसके बाद दिनांक 17 से 19 अक्तूबर, 2016 को सिंगापुर में आयोजित किया गया था 15

दिनांक 17 से 18 नवंबर, 2016 को राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हित का संरक्षण'' के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 15

दिनांक 12 से 13 जनवरी, 2017 को राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में "विनियमों के विधिक पहलू" के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 15

3. **वर्ष 2016 एवं 17 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां (सीईआरसी / एसईआरसी / जेईआरसी)** 16

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग 16

असम विद्युत विनियामक आयोग 18

आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 18

अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग 18

बिहार विद्युत विनियामक आयोग 18

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग 18

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग 19

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग 19

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग 19

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 19

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और केंद्र शासित प्रदेश) 19

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर एवं मिजोरम) 20

झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग 20
कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग 20
केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग 20
महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग 20
मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 21
मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग 21
नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग 21
ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग 21
पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग 22
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग 22
सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग 22
त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग 22
तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग 22
तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग 23
उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 23
उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग 23
पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग 23

4. **राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति** **24**

5. **केविविआ/एसईआरसी के अध्यक्ष की सूची** **25**

6. **वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा** **27**

अनुबंध–I
केविविआ के टैरिफ अनुसूचियां उत्पादन टैरिफ 45

अनुबंध–II
राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के आदेश जारी करने की समयबद्धता 55

अनुबंध–III
सीजीआरएफ और लोकपाल की कार्य 60

1 विनियामक फोरम

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में उस समय की गई थी जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रयोज्यताओं की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यवसायिक टैरिफ बोर्डो का गठन' करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डो से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी।'

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत के लिए सामान्य न्यूनत्तम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इन्हें निश्चित सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों (विविआ) को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 (संक्षेप में, 1998 अधिनियम) अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। 1998 के अधिनियम में विद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाने, टैरिफ सब्सिडी इत्यादि से संबंधित पारदर्शिता नीतियों के सुव्यवस्थितीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। अब 1998 के अधिनियम को विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में, 2003 का अधिनियम) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 2003 अधिनियम की शुरुआत से विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यकलाप विद्युत बाजार के क्षेत्र के विकास की भूमिका के साथ साथ इसे सरकार को परामर्श कार्य भी निर्दिष्ट किए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा अधिकांश राज्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के अंतर्गत गठित किए गए थे। तथापि, मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग, जेईआरसी (मणिपुर एवं मिजोरम) तथा जेईआरसी (गोवा एवं संघ शासित प्रदेश) जैसे कुछ एसईआरसी/जेईआरसी 2003 के अधिनियम के बाद गठित किए गए थे।

इस फोरम को 2003 के अधिनियम की धारा 166(2) के अंतर्गत उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी 2005 की विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा तैयार किए गए विद्युत क्षेत्र में विनियमनों में एकरूपता प्राथमिक उद्देश्य था।

केन्द्रीय सरकार ने विनियामक फोरम के लिए निम्नलिखित नियम भी बनाए हैः—

❖ फोरम का गठन

फोरम में केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष विनियामक फोरम के अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय आयोग के सचिव फोरम के पदेन सचिव होंगे। फोरम की सचिवीय सहायता केन्द्रीय आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

❖ फोरम के कार्य

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा अर्थात :—

- केन्द्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों तथा अन्य आदेशों का विश्लेषण एवं उक्त आदेशों से उत्पन्न आकंडों का संकलन करना विशेष रूप से प्रयोज्यताओं की कार्य कुशलता को रेखांकित करना;
- विद्युत क्षेत्र में विनियमन में एक रूपता;
- अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानकों को निर्धारित करना;
- सामान्य हित के और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न मुददों के संबंध में फोरम के सदस्यों को सूचना शेयर करना;

- ऊर्जा क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुददों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से या इन हाउस अनुसंधान कार्य से पूरा करना;
- उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करना और ऊर्जा क्षेत्र में कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; तथा
- इस प्रकार के अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय से निर्दिष्ट कर सकती है।

❖ फोरम का वित्त

- केन्द्रीय सरकार फोरम की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय अंशदान ले सकती है। केन्द्रीय आयोग फोरम की गतिविधियों के लिए अलग लेखा रखेगी।

❖ मिशन विवरण

विनियामक फोरम की अवधारणा स्वतंत्र विनियमों के विकास को पूरा करने तथा भारत में विद्युत क्षेत्र में स्टेक रखने वालों को शक्ति प्रदान करने के मिशन से आरंभ किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फोरम का लक्ष्य निम्नानुसार हैः–

- विद्युत क्षेत्र में विनियमों की एकरूपता।
- सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन
- भारत में विद्युत क्षेत्र में विनियामक निश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना।
- उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहल करना।

2 विनियामक फोरम की गतिविधिया

2.1 विनियामक फोरम की बैठकें

फोरम ने वर्ष के दौरान पांच बैठकें आयोजित की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाई।

7 अप्रैल, 2016 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित विनियामक फोरम की 54वीं बैठक

- फोरम को ''सीजीआरएफ और लोकपाल की कार्यप्रणाली की समीक्षा'' और इसके बाद की गई सिफारिशों के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट से अवगत कराया गया। फोरम ने अध्ययन रिपोर्ट को मंजूरी दी।
- फोरम को ''वितरण हानि कटौती के संबंध में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास और कार्यनीतियां'' के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट और इसके बाद की गई सिफारिशों से अवगत कराया गया। फोरम ने अध्ययन रिपोर्ट को मंजूरी दी।
- फोरम ने विद्युत उत्पादनकर्ताओं (एपीपी) के एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुतिकरण में लाए गए बिंदुओं को नोट किया और निर्णय लिया कि फोरम भारत सरकार के विचार के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले मामले की विस्तार से जांच करेगा।
- फोरम को सीईआरसीई द्वारा "कोर्ट केस प्रबंधन ऑटोमेशन प्रणाली (ई–कॉर्ट)" पहल से अवगत कराया गया, और सीईआरसी से अपने कार्यालयों के डिजिटलीकरण की दिशा में अपने प्रयासों में एसईआरसी को समर्थन प्रदान करने का आग्रह किया गया।
- फोरम ने ''वाणिज्यिक हानियों की जांच के उपाय'' विषय पर ऊर्जा के संबंध में स्थायी समिति की 12 वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर विचार किया, जिसे दिसंबर, 2015 के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में रखा गया था।
- फोरम ने यूपीईआरसी द्वारा अधिसूचित मिनी–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति विनियमों के संबंध में की गई प्रस्तुति को नोट किया।
- फोरम ने अध्यक्ष डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा ''विद्युत क्षेत्र के संबंध में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण – चुनौतियां और आगे के रास्ते'' की प्रस्तुति को नोट किया।
- विद्युत, कोयला, नई और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल कार्यवाही में शामिल हुए। उन्होंने विनियामक फोरम का पुनः डिजाइन किया गया लोगो का प्रमोचन किया। उन्होंने फोरम को अपने संबोधन में, उदय योजना के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए पहल की सराहना की। उन्होंने राज्य डिस्कॉम द्वारा आरपीओ लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से आग्रह किया ताकि बाजार में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की मांग को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने फोरम को सूचित किया कि ऊर्जा मंत्रालय ने सूचना के प्रभावी और वास्तविक समय प्रसार के लिए इंटरनेट / मोबाइल प्लेटफार्मों पर कई आईटी सक्षम एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं। आवेदन विद्युत बाजार, ऊर्जा दक्षता आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। इन उपायों ने अद्यतन वास्तविक समय की जानकारी के साथ हितधारकों को सुविधा प्रदान की है। उन्होंने विनियामक फोरम से आग्रह किया कि कचरे से ऊर्जा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच के लिए एक उप–समूह / कार्यकारी समूह का गठन करें, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उत्पादन की सुविधाएं, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, निकासी सुविधा, विनियामक तंत्र आदि शामिल हों।

22 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 55वीं बैठक

- फोरम ने पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 में निहित मुद्दों के संबंध में प्रस्तुतिकरण और उसमें मौजूद प्रावधानों के प्रभाव पर ध्यान दिया और वह भारत सरकार को सिफारिशें सुझाएगा।
- फोरम ने सीईए द्वारा ''24X7 विद्युत आपूर्ति की योजना'' के संबंध में प्रस्तुति को नोट किया। फोरम ने देखा कि राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के साथ पूर्व परामर्श सभी हितधारकों को समृद्ध कर सकेगा। फोरम ने ऊर्जा मंत्रालय को पीएफए करार में अध्ययन की सिफारिशों को शामिल करने की सलाह दी। फोरम के सदस्यों ने संबंधित यूटिलिटीज के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के भाग के रूप में ''सभी

के लिए 24x7 विद्युत'' के लिए व्यय की आवश्यकता के प्रासंगिक घटकों पर उपयुक्त रूप से विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की।

- फोरम ने अध्यक्ष, डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा ''विद्युत के वितरण / खुदरा बिक्री – टैरिफ को प्रभावित करने वाले कारकों'' के संबंध में प्रस्तुति को नोट किया। फोरम ने कहा कि यूटिलिटीज द्वारा दक्षता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की भी आवश्यकता है।
- फोरम ने निर्बाध पहुंच के लिए मुद्दों और वे फॉरवर्ड के संबंध में प्रस्तुति को नोट किया। फोरम ने मुद्दों की जटिलता और दायरे पर विचार करते हुए फैसला किया कि निर्बाध पहुंच के संदर्भ में शामिल मामलों की जांच / विश्लेषण करने और फोरम को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अध्यक्ष, केविविआ / विनियामक फोरम द्वारा एक कार्यकारी समूह का गठन किया जा सकता है।
- फोरम ने विद्युत में अनुसूचिकरण, लेखा, मीटरिंग और संव्यवहारों के व्यवस्थापन (समस्त) के संबंध में मॉडल प्रणाली के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करने में तकनीकी समिति द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की, जिसमें राज्य स्तर पर सैमस्ट के कार्यान्वयन के लिए कार्यगति, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन की आवश्यकता के डिजाइन के लिए भी व्यवस्था है। फोरम ने कार्यान्वयन के लिए रोडमैप के साथ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दी। फोरम ने आवश्यक वित्तपोषण के लिए राज्य पारेषण कंपनियों / राज्य भार प्रेषण केन्द्रों को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करके समस्त (एसएएमएएसटी) के कार्यान्वयन के लिए मामले का दायित्व लेने का सुझाव दिया।

30 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई विनियामक फोरम की 56वीं बैठक

- फोरम ने स्मार्ट मीटरों की थोक खरीद के लिए पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पीएसईआरसी) से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया। पीएसईआरसी के संदर्भ पर विचार करते हुए, फोरम ने देखा कि सीईए द्वारा स्मार्ट मीटरों के लिए मानकों को अधिसूचित करना थोक खरीद के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। राज्य की यूटिलिटीज के लिए यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि खरीद मूल्य में बचत को प्राप्त करने के लिए अपनी मांग को एकत्रित करने के लिए वे एक साथ हों जाएं। फोरम ने स्मार्ट मीटरों की थोक खरीद के विचार का समर्थन किया और ''एफओआर'' सचिवालय को इस संबंध में सुविधा के लिए विद्युत मंत्रालय को लिखने की सलाह दी।
- फोरम ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के तृतीय उपबंधों के अधीन सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं (एमईएस) को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के दर्जे की सहमति के लिए डब्ल्यूईबीसी से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया। फोरम ने नोट किया कि विभिन्न राज्यों में एमईएस को दर्जा दिया गया था और देखा कि डब्ल्यूईबीसी इन प्रथाओं का संदर्भ ले सकते हैं और उपयुक्त कार्रवाई के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
- फोरम ने एडवांस क्लीन एनर्जी (पीएसीईई) प्रोग्राम के लिए यूएस–इंडिया पार्टनरशिप के अधीन भारत कंसोर्टियम एडवाइजरी बोर्ड के स्टेकहोल्डर एडवाइजरी बोर्ड (एसएबी) में शामिल होने के लिए एनआरईएल द्वारा दिए गए आमंत्रण पर विचार किया और इसके लिए अपनी मंजूरी दी।
- फोरम को यह सूचित किया गया कि राजस्थान में राज्य स्तरीय कार्यकारी समूह के लिए आरपीओ वेब टूल का प्रदर्शन पूरा हो गया है। फोरम ने आरपीओ के अनुपालन की निगरानी के लिए वेब टूल के विकास के संबंध में हुई प्रगति को नोट किया और महसूस किया कि इसे अन्य राज्यों के लिए भी मानकीकृत और अनुकूलित किया जा सकता है। फोरम ने फैसला किया कि इसे राज्य स्तर पर नवीकरण के फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के संबंध में ''विनियामक फोरम'' तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। समिति आरपीओ की निगरानी और अनुपालन के लिए एक मानकीकृत वेब टूल विकसित करेगी और ''विनियामक फोरम'' को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- फोरम ने भारत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की जांच करने वाली ब्रूकिंग्स इंडिया द्वारा की गई रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुति को नोट किया।
- फोरम ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई प्रस्तुति को नोट किया और देखा कि रूफ–टॉप सौर कार्यक्रम को न केवल नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक पहल के रूप में माना जाना चाहिए, बल्कि मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भी देखा जाना चाहिए।
- फोरम ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ''1000 मेगावाट आईएसटीएस कनेक्टेड सौर विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए योजना'' के संबंध में दी गई प्रस्तुति को नोट किया और देखा कि हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन (विभिन्न नवीकरण ीय ऊर्जा स्रोतों का संयोजन जैसे सौर–पवन आदि) पर जोर दिया जाना चाहिए। यह निर्धारित किया गया था कि भविष्य की वाणिज्यिक / विधिक जटिलताओं से बचने के लिए विद्युत खरीद करारों में नए जीएसटी से संबंधित आवश्यक खंड शामिल किए जा सकते हैं। फोरम ने देखा कि भविष्य की उलझनों को कम करने के लिए विद्युत ग्रिड के साथ परामर्श से पवन उत्पादन के पूलिंग बिंदु को पहले से पहचाना जाना चाहिए।
- फोरम ने विभिन्न राज्यों में सौर परियोजनाओं के समर्थन के लिए भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा निर्देश जारी

करने के संबंध में एमएनआरई से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया। फोरम ने महसूस किया कि सौर ऊर्जा की परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता के कारण विधिवत पहचान द्वारा इसका एकीकरण महत्वपूर्ण है। उन्हें चलाने की स्थिति प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए दो भाग टैरिफ के विचार की उसके पहलुओं के साथ जांच की जा सकती है।

16 दिसम्बर, 2016 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित विनियामक फोरम की 57वीं बैठक

- डॉ. रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। फोरम को अपने संबोधन में, उन्होंने उपभोक्ता हितों की रक्षा और यूटिलिटीज की लागतों की वसूली के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने में विद्युत विनियामकों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की।
- फोरम को अवगत कराया गया था कि राज्य स्तर पर पवन और सौर ऊर्जा उत्पादनकारी स्टेशनों के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन के संबंध में फ्रेमवर्क के परियोजन और कार्यान्वयन और राज्य स्तर पर उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) फ्रेमवर्क की शुरूआत / कार्यान्वयन के संबंध में कार्यान्वयन और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप के आरंभ हेतु 18 नवंबर, 2015 को ''विनियामक फोरम'' द्वारा एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। राज्यों के लिए विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डीएसएम) के संबंध में मॉडल विनियमों पर परामर्शदाता द्वारा एक प्रस्तुति दी गई थी। फोरम ने अपनी टिप्पणियों के साथ मॉडल विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों का समर्थन किया।
- फोरम को "प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ की तुलना में कॉस्ट और टैरिफ – समालोचनात्मक विश्लेषण" और इसके निष्कर्षों के संबंध में "अध्ययन" शीर्षक रिपोर्ट से अवगत कराया गया। फोरम ने विस्तृत चर्चा के बाद अध्ययन रिपोर्ट का समर्थन किया।
- फोरम ने सार्वजनिक / उपभोक्ताओं के लिए रूफ टॉप सौर पीवी को अधिक आकर्षक बनाने के तरीकों से संबंधित मुद्दों के संबंध में मणिपुर और मिजोरम के लिए जेईआरसी से प्राप्त संदर्भ को नोट किया और निर्णय लिया कि आरपीओ लक्ष्य के संबंध में जेईआरसी (एमएंडएम) द्वारा उठाए गए मामले की ''नवीकरणीय ऊर्जा'' के संबंध में ''एफओआर'' कार्यकारी समूह द्वारा पहले जांच की जानी चाहिए।
- फोरम ने अध्यक्ष डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा ''2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की व्यवस्था'' के संबंध में प्रस्तुति को नोट किया। फोरम ने महसूस किया कि विषय वस्तु को विस्तार से जांचने की आवश्यकता है और इसलिए विचार–विमर्श और सिफारिशों के लिए इसे ''एफओआर'' तकनीकी समिति को भेजा।

27 फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 58वीं बैठक

- अध्यक्ष, केविविआ / विनियामक फोरम ने औपचारिक तौर पर ई–न्यूजलेटर ''एफओआर–न्यूज'' को लॉन्च किया। फोरम के सदस्यों के बीच सूचना और सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने की दृष्टि से, ई–न्यूजलेटर को डिजाइन किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ महत्वपूर्ण घटनाओं, नए विनियमों, ड्राफ्ट स्टाफ पेपर आदि शामिल हैं।
- फोरम ने कार्डों और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय के संदर्भ का उल्लेख किया और कहा कि बैंक आमतौर पर कार्डों और डिजिटल माध्यमों से बिल भुगतान पर कमीशन लेते हैं। फोरम ने फैसला किया कि विद्युत के बिलों के भुगतान के संबंध में डिजिटल भुगतान लेनदेन प्रभार माफ करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी अवधि तक, लेनदेन प्रभार एआरआर के माध्यम से पारित किया जा सकता है।
- फोरम ने ''विद्युत शिकायतों के लिए एकल कोड 1912 सेवा के माध्यम से पास देने'' के लिए विद्युत मंत्रालय के संदर्भ को नोट किया। फोरम ने इस मुद्दे पर विचार–विमर्श किया और निर्णय लिया कि जहां तक संभव हो सके प्रभारों को न्यूनतम रखने के लिए भारत सरकार को अनुरोध भेजा जा सकता है। तथापि, भारत सरकार से लंबित जवाब, प्रभारों को एआरआर के माध्यम से पारित माना जा सकता है।
- फोरम ने ऊर्जा भंडारण के संबंध में केविविआ स्टाफ पेपर को नोट किया और देखा कि उपर्युक्त मुद्दों की जांच के लिए एक पायलट अध्ययन किया जाना आवश्यक है। अध्यक्ष, केविविआ / विनियामक फोरम ने फोरम को सूचित किया कि वर्तमान स्टाफ पेपर इस विषय पर विचार–विमर्श शुरू करने के लिए केविविआ स्टाफ द्वारा एक प्रयास है। हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं और टिप्पणियों के प्राप्त होने पर, मामले को आगे के निर्देशों के लिए आयोग के समक्ष रखा जाएगा।
- फोरम ने बीईई द्वारा किए गए "एनएमईईई की पीएटी योजना के अधीन ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के व्यापार और न्यायनिर्णयन" के संबंध में प्रस्तुति को नोट किया।
- लघु हाइड्रो क्षेत्र के लिए सामान्य टैरिफ पर एमएनआरई संदर्भ के संबंध में फोरम ने महसूस किया कि इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, टैरिफ को निम्नतर स्तर पर रखते हुए, भारत सरकार डेवलपर्स को उपयुक्त सब्सिडी प्रदान करने पर विचार कर सकती है। फोरम ने देखा कि निवेश को आकर्षित करने के साथ–साथ टैरिफों को सस्ते स्तर पर बनाए रखने के लिए विभिन्न वित्तीय मापदंडों (डेट–इक्विटी अनुपात, त्वरित मूल्यह्रास का लाभ, आरओई आदि

सहित) पर 5–25 मेगावाट एसएचपी के लिए केंद्रीय स्तर के नीतिगत दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।

- फोरम ने उपयुक्त कार्रवाई के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के समर्थन के संबंध में चिंता व्यक्त की। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादनकारी परियोजनाओं के लिए दो भाग टैरिफ संरचना के संबंध में, फोरम ने देखा कि इस तरह के प्रस्ताव के दीर्घकालिक प्रभाव हैं और इसके लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
- फोरम ने दीर्घकालिक आरपीओ ट्रेजेक्टरी की आवश्यकता की सराहना करते हुए महसूस किया कि उपभोक्ता टैरिफ और राज्यों के लिए वांछनीय आरपीओ ट्रेजेक्टरी के संबंध में आरपीओ के विभिन्न स्तरों के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन करना उचित होगा।
- फोरम ने टीएसएसएलडीसी द्वारा ''निर्बाध पहुंच आवेदन प्रसंस्करण'' के संबंध में प्रस्तुति को नोट किया। फोरम ने महसूस किया कि भार–उत्पादन संतुलन की योजना को सुकर बनाने के लिए एसटीओए संविदाओं के पुनरीक्षण के लिए समय–अनुसूची और निर्बाध पहुंच आवेदक द्वारा विद्युत के आहरण के स्रोत के संबंध में अनिश्चितता को कम करने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में टीएसएसएलडीसी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर एफओआर तकनीकी समिति द्वारा ध्यान दिया जा सकता है।

2.2 पूरे किए गए अध्ययन

वितरण हानि में कमी के लिए सर्वोत्तम अभ्यास और कार्यनीतियां

चूंकि वितरण क्षेत्र में उच्च स्तर की हानियों का डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य पर गहरा आवर्ती प्रभाव पड़ता है, जो विनियामक टैरिफों पर दबाव डालता है, (एफओआर) ने ''वितरण हानि में कमी के लिए कार्यनीतियां और इस पर सर्वोत्तम अभ्यास'' के संबंध में एक अध्ययन शुरू करने का फैसला किया है। अतः विनियामक फोरम ने, इस अध्ययन को करने के लिए मैसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) को बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित किया।

इस अध्ययन में, विचारार्थ–विषय के अनुसार, हानि में कमी के व्यापक तंत्र के विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर कार्य किया गया था:

- वितरण हानियों के घटकों की पहचान
- भारतीय राज्यों में वितरण हानि में कमी की कार्यनीतियां और अभ्यास का अध्ययन किया गया। 10 (दस) भारतीय राज्यों (गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश और केरल) को विनियामक फोरम सचिवालय के परामर्श से चुना गया था। इन राज्यों के लिए प्राथमिक डाटा एकत्रित किया गया और उनका विश्लेषण किया गया।
- भारतीय राज्यों और भारत के बाहर देशों (ओमान, ईरान, ब्राजील और युगांडा) (जिनकी प्रोफाइल भारत के समान है) में मौजूदा सर्वोत्तम अभ्यासों की पहचान
- भारतीय विद्युत प्रणाली के अनुरूप सर्वोत्तम अभ्यासों की सूची तैयार करना
- सर्वोत्तम अभ्यासों और शामिल लागतों के परिकलन के लिए सिफारिश
- नुकसान कम करने की कार्यनीति का विकास
- वितरण हानि कटौती में तेजी लाने के लिए कार्यनीतियों से युक्त एक व्यापक तंत्र का विकास

विभिन्न भारतीय वितरण कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय भूगोलों द्वारा हानि कम करने की कार्यनीतियों के संबंध में इस अध्ययन में किए गए विश्लेषण के आधार पर, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है:

- वितरण कंपनियों द्वारा सामना किए गए उच्च हानि स्तरों के मुद्दे पर सुधार करने के लिए, हानियों के मूल कारणों की पहचान करने और फिर उन हानियों को लक्षित करने के लिए एक कार्यनीति तैयार करने के लिए एक केंद्रित प्रयास की आवश्यकता है
- हानियों के मूल कारण की पहचान करने के लिए, ऊर्जा लेखांकन तकनीकों का उपयोग करके घटक वार हानियों को मापा जाना चाहिए। हानि के प्रत्येक घटक का अलग मूल कारण हो सकता है और इसलिए उनसे निपटने के लिए एक अलग कार्यनीति की आवश्यकता होगी।
- विभिन्न हानि में कमी की पहल के लाभों को अधिकतम करने के लिए, वितरण कंपनियों को एक विस्तृत हानि न्यूनीकरण कार्यनीति तैयार करने की आवश्यकता है।
- हानि में कमी की पहल के समग्र विश्लेषण के आधार पर, प्रत्येक वितरण कंपनी को प्रत्येक प्रकार के नुकसान से निपटने के लिए अपने संसाधनों को आवश्यक पहलों, दृढ़ता से वांछनीय पहलों, अच्छी पहलों और अन्य पहलों के क्रम में प्राथमिकता देनी चाहिए।
- किए जाने वाले विभिन्न हानि में कमी की पहल के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए, वितरण कंपनियां छोटे क्षेत्रों में पायलट अध्ययन कर सकती हैं।

फोरम ने वाराणसी (उ.प्र.) में 07 से 09 अप्रैल, 2016 को आयोजित विनियामक फोरम की 54वीं बैठक में अध्ययन रिपोर्ट "वितरण हानि में कटौती के लिए सर्वोत्तम अभ्यास और रणनीतियाँ" को मंजूरी दी।

विद्युत में संव्यवहारों का अनुसूचीकरण, लेखांकन, मीटरिंग और व्यवस्थापन (एसएएमएएसटी)

विनियामक फोरम (एफओआर) ने महसूस किया कि एक व्यापक लेखांकन और व्यवस्थापन प्रणाली जो राज्य

/ प्रादेशिक सीमाओं के पार व्यापार और विद्युत के आदान–प्रदान को सुव्यवस्थित करती है, एक विकसित ग्रिड के कई निर्माण खंडों में से एक है जिसपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः विनियामक फोरम ने विद्युत में संव्यवहारों के अनुसूचीकरण, लेखांकन, मीटरिंग और व्यवस्थापन (एसएएमएएसटी) के संबंध में अध्ययन करने का निर्णय लिया। अंतिम रिपोर्ट को तकनीकी समिति ने अपनी 5वीं बैठक में अपनाया और विनियामक फोरम द्वारा 22 जुलाई, 2016 को आयोजित इसकी 55वीं बैठक में स्वीकार कर लिया गया।

इस रिपोर्ट का उद्देश्य अंतरराज्यिक / अंतःराज्यिक स्तर पर उपलब्ध अनुभव को आत्मसात करना और भारत में सभी राज्यों और प्रदेशों में एसएएमएएसटी के लिए एक समान प्रक्रिया विकसित करना है चाहे वह नवीकरणीय–समृद्ध हो या अन्यथा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, असम और बीबीएमबी सहित तेरह (13) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के साथ एकैक बातचीत हुई। प्रचलित बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं के संबंध में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण किया गया। यह सामने आया कि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों को निम्नलिखित चार समूहों में से एक में रखा जा सकता है:

- समूह–क में ऐसे राज्य शामिल हैं जहां प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों को अंतःराज्यिक लेखांकन और व्यवस्थापन प्रणाली के सभी पहलुओं का प्रत्यक्ष अनुभव है।
- समूह–ख में वे राज्य शामिल हैं जहाँ कुछ अंतःराज्यिक संस्थाओं के लिए विचलन व्यवस्थापन प्रणाली शुरू की गई है या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कृत्रिम अभ्यास किए गए हैं।
- समूह–ग में ऐसे राज्य शामिल हैं, जहां विचलन व्यवस्थापन के लिए मसौदा विनियमों को अधिसूचित किया गया है और प्रारंभिक अभ्यास शुरू हो गए हैं।
- समूह–घ में ऐसे राज्य / केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जहां विचलन अभी शुरू नहीं हुआ है।

विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, उप–समिति ने एसएएमएटीएस के संबंध में एक मॉडल प्रणाली विकसित की, जो मीटरिंग, ऊर्जा लेखांकन और विचलन व्यवस्थापन से जुड़े विद्युत प्रणाली प्रचालन के निर्माण ब्लॉकों को दर्शाती है। अन्य बातों के साथ मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- इंटरफेस सीमाओं का सीमांकन और पूल सदस्यों की पहचान।
- एएमआर आधारभूत संरचना के साथ पर्याप्त इंटरफेस ऊर्जा मीटरों (5–मिनट) का संस्थापन और सैक्रोसैंक्ट एक्स–एंटे अनुसूचीकरण को सुनिश्चित करना।
- मूल लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एकरूप ऊर्जा बुक कीपिंग है।
- पूंजी बाजार में डिपॉजिटरी के समान अल्पकालिक निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री और क्लियरिंग एजेंसी की स्थापना।
- वोल्टेज से लिंक करते समय विद्युत फैक्टर के बजाय अंतर यूटिलिटी स्तर पर रिएक्टिव ऊर्जा का मूल्य निर्धारण।
- प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों की बढ़ती भूमिका को पूरा करने के लिए मानव संसाधनों का सशक्तिकरण।
- रखरखाव और आवधिक उन्नयन के अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संदर्भ में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। राज्य ऊर्जा लेखाओं का ध्यान रखने के लिए राज्य विद्युत समितियों (एसपीसी) का गठन।
- उत्पादन की सीमांत लागत की पहचान, जलाशय / पौंडेज आधारित हाइड्रो स्टेशनों के लिए पृथक पीक / ऑफ–पीक टैरिफ, दो भाग टैरिफ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए दो भाग टैरिफ का अवधारण आदि।

सीजीआरएफ और लोकपाल के संचालन की समीक्षा

चूंकि उपभोक्ता सेवाएं और उपभोक्ता शिकायतों का प्रभावी निवारण विद्युत के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी यूटिलिटीज के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, विनियामक फोरम (एफओआर) ने संबंधित निकायों के साथ संरेखण के लिए एक मॉडल फ्रेमवर्क स्थापित करने की मांग की है, जिससे उद्योग और वैश्विक बेंचमार्क के अनुसार सेवाओं में सुधार हो सके। अतः विनियामक फोरम ने उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) और लोकपाल के प्रचालन में विभिन्न राज्यों में उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के लिए अध्ययन के उद्देश्य से बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मैसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्रा. लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) का चयन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य राज्यों में सीजीआरएफ एवं लोकपाल के कामकाज की समीक्षा करना है। इस अध्ययन के बाद के चरण में उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के प्रचालन और कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों की पहचान की गई और उन्हें निर्धारित किया गया:

- सभी चार प्रदेशों से प्रतिनिधित्व, अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम
- माध्यमिक और प्राथमिक डाटा की उपलब्धता
- विनियम में कोई अपूर्व विशेषता
- सीजीआरएफ कार्यालयों की संख्या
- विनियम की अधिसूचना का वर्ष

दिए गए ढांचे का उपयोग करते हुए, विस्तृत विश्लेषण के लिए दस राज्यों (उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात) को चुना गया। भारत में विभिन्न राज्यों में सीजीआरएफ और लोकपाल विनियमों की समीक्षा ने कुछ बुनियादी मानकों जैसे संरचना, सदस्यों की नियुक्ति के तरीके

आदि के संबंध में विनियमों में भिन्नता का पता लगाया। इसी प्रकार, भारत में विभिन्न राज्यों में लोकपाल विनियमों की समीक्षा ने कुछ मापदंडों के संबंध में विनियमों में भिन्नता को दर्शाया, जो कि लोकपाल की संख्या, लोकपाल की नियुक्ति, स्वतंत्रता, लागत और व्यय आदि हैं।

वैश्विक मानकों और प्रचलित अभ्यासों के विरुद्ध बेंचमार्क करने के लिए, यूनाइटेड किंगडम और फिलीपींस में यूटिलिटीज के बाद शिकायत निवारण तंत्र का अध्ययन आयोजित किया गया था। इन दोनों देशों में शिकायत निवारण का तंत्र भारतीय संदर्भ से काफी अपूर्व और अलग है और इस प्रकार इन दोनों देशों को अध्ययन के लिए चुना गया। दस राज्यों के सीजीआरएफ और लोकपाल के संबंध में आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर अन्य क्षेत्रों में शिकायत निवारण तंत्र की साहित्य समीक्षा के साथ, निम्नलिखित सिफारिशें सुझाई गई हैं:

- शिकायतों को प्राथमिकता देना
- विनियमों के गैर–अनुपालन के लिए जुर्माना
- फोरम के सदस्यों को जवाबदेही सौंपना
- कर्तव्यों का विकेंद्रीकरण
- उपभोक्ता वकालत समिति की स्थापना करना
- वितरण कंपनियों के स्तर पर शिकायत की स्वीकृति के लिए पहला संपर्क बिंदु सुधारना
- संचार में सुधार
- सीजीआरएफ के पास आने से पहले मध्यस्थता की सुविधा

फोरम ने वाराणसी (उ.प्र.) में 07 से 09 अप्रैल, 2016 को आयोजित विनियामक फोरम की 54वीं बैठक में अध्ययन रिपोर्ट ''सीजीआरएफ और लोकपाल की कार्यप्रणाली की समीक्षा'' को मंजूरी दी।

प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ की तुलना में कॉस्ट प्लस टैरिफ–समालोचनात्मक विश्लेषण

वर्तमान में, टैरिफ मुख्य रूप से कॉस्ट–प्लस पद्धति पर अवधारित किए जाते हैं और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा वार्षिक या बहु वर्ष टैरिफ व्यवस्था के अधीन समीक्षा की जाती है, साथ ही धारा 63 के अधीन बोली प्रक्रिया के माध्यम से टैरिफ को भी अपनाया जाता है, जिसे वृद्धियोग्य घटकों पर स्वीकार्य वृद्धियोग्य के साथ क्षमता और ऊर्जा प्रभारों, और छूट कारक आदि जैसे मानकों के आधार पर 25 वर्षों तक की निश्चित अवधि के लिए स्तरीकृत किया जाता है।

लागत प्लस दृष्टिकोण के अधीन टैरिफ अवधारण प्रक्रिया कई पहलुओं में प्रतिस्पर्धात्मक बोली से भिन्न है। अतः विनियामक फोरम ने "प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ की तुलना में कॉस्ट प्लस टैरिफ–समालोचनात्मक विश्लेषण" के संबंध में अध्ययन करने का निर्णय लिया, और बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से परामर्शदाता के रूप में क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस लिमिटेड को चुना। इस अध्ययन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक बोली दृष्टिकोण की तुलना में कॉस्ट–प्लस दृष्टिकोण के अधीन टैरिफ अवधारण तंत्र की तुलना करना है।

केस I परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध हैं:

- प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ और कॉस्ट प्लस टैरिफ के अधीन परियोजनाओं के बीच स्पष्ट तुलना करना कठिन है, क्योंकि किसी भी एक प्लांट को किसी दूसरे से अलग करने वाले विद्युत प्रोजेक्ट से जुड़े कई मानदंड हैं।
- केस – I परियोजनाओं के अधीन प्रमुख जोखिम गैर–संविदात्मक क्षमता है। ऐसी क्षमता के लिए टैरिफ बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है और डेवलपर्स के लिए बड़ा जोखिम होता है।
- केस – I परियोजनाएं ईंधन जोखिमों की आशंका में हैं चूंकि क्योंकि निजी विकासकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी परियोजनाओं के लिए ईंधन की आवश्यकताओं की व्यवस्था करें और इस कारण उन्हें समग्र जोखिम उठाना पड़ता है।

केस II परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध हैं:

- केस – II परियोजनाओं के अधीन टैरिफ तुलना योग्य हैं और कुछ मामलों में, कॉस्ट–प्लस दृष्टिकोण के अधीन अवधारित टैरिफ से निम्नतर है।

सभी प्रतिस्पर्धात्मक बोली परियोजनाओं के लिए अध्ययन के सामान्य निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध हैं:

- प्रतिस्पर्धात्मक बोली परियोजना के लिए व्यवहार्यता विभिन्न जोखिम वाले कारकों जैसे परियोजना के आरंभ में देरी, खरीदे गए उपकरणों की गुणवत्ता, ईंधन की पर्याप्तता और गुणवत्ता, विद्युत की निकासी के लिए पारेषण कॉरिडोर की पर्याप्तता और उपलब्धता, क्रेता द्वारा कम विद्युत ऑफ–टेक, बाजार संचलन के साथ वितरण कंपनियों का वित्तीय स्वास्थ्य और नीति वातावरण में परिवर्तनों के जोखिम के प्रति संवेदनशील है।
- उद्धृत टैरिफ में जोखिम मानदंडों के फैक्टर का आकलन करना मुश्किल है।
- बोलीकर्ताओं में परिवर्तनीय प्रभारों और इसके विपरीत में नियत लागत का हिस्सा भी शामिल है।
- प्रतिस्पर्धात्मक बोली टैरिफ दृष्टिकोण अधिकांश गैर–नियंत्रणीय कारकों को क्रेता तक पहुंचने की अनुमति नहीं देता है।

फोरम ने दिनांक 16 दिसंबर, 2016 को रायपुर (छत्तीसगढ़)

में आयोजित की गई विनियामक फोरम की 57वीं बैठक में "प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ की तुलना में कॉस्ट प्लस टैरिफ–समालोचनात्मक विश्लेषण" के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट को मंजूरी दी।

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विनियामक फोरम (एफओआर) के प्रमुख दायित्वों में से एक विद्युत विनियामक आयोगों (ईआरसी) के कर्मियों का क्षमता निर्माण है। फोरम द्वारा वर्ष 2016–17 में निम्नलिखित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

दसवां क्षमता निर्माण कार्यक्रम दिनांक 13 से 15 अक्तूबर, 2016 को आईआईटी कानपुर आउटरीच केंद्र, नोएडा में और उसके बाद दिनांक 17 से 19 अक्तूबर, 2016 को सिंगापुर में आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम के दौरान शामिल मुख्य विषय इस प्रकार हैंः

- राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016 और विद्युत अधिनियम, 2003 के संशोधन
- दक्षिण एशिया में प्रादेशिक विद्युत बाजार
- विनियामक प्रदर्शन और विनियामकों की बदलती भूमिका
- विद्युत में खुदरा प्रतिस्पर्धा– अवसर और चुनौतियां
- अल्पकालिक विद्युत खरीद और निर्बाध पहुंच
- नवीकरणीय ऊर्जा फीड–इन टैरिफ और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र मार्केट में विकास
- नवीकरणीय ऊर्जा पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन
- परियोजना डेवलपर के परिप्रेक्ष्य से विद्युत की पहुंच और मिनी ग्रिड
- नवीकरणीय ऊर्जा बाजार का विकास
- मिनी ग्रिडों के अनुभव, चुनौतियां और विनियामक विकास
- ग्रिड प्रचालन और निर्बाध पहुंच
- सिंगापुर में विद्युत क्षेत्र का विनियमन – विकास और वर्तमान अभ्यास
- अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य– चुनौतियां और संभावनाएं
- विद्युत बाजारों में जोखिम प्रबंधनः कमोडिटी एक्सचेंज और डेरिवेटिव की भूमिका
- सिंगापुर में ऊर्जा दक्षता पहल
- सिंगापुर में विद्युत की आपूर्ति के लिए खुदरा प्रतिस्पर्धा
- आसियान में प्रादेशिक विद्युत बाजार एकीकरण

दिनांक 17 से 18 नवंबर, 2016 को राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हित का संरक्षण'' के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

कार्यक्रम के दौरान शामिल मुख्य विषय इस प्रकार हैंः

- उपभोक्ता शिकायतों से निपटने के लिए प्रक्रिया–मॉडल तंत्र
- ग्राहक सेवा अभ्यासों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप
- मानकों और प्रदर्शनों का परिचय और बीआरपीएल के बदलाव की कहानी
- विनियामक ढांचे की भूमिका और उपभोक्ता वकालत को संस्थागत बनाना
- उपभोक्ता शिक्षा, सशक्तिकरण और वित्त पोषण के लिए संभावित विकल्प और कार्यनीतियां
- विद्युत अधिनियम, 2003 और विनियामक उपबंधों को सक्षम करना
- दिल्ली में उपभोक्ता शिकायत निवारण अनुभव

दिनांक 12 से 13 जनवरी, 2017 को राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में "विनियमों के विधिक पहलू" के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम के दौरान शामिल मुख्य विषय इस प्रकार हैंः

- भारतीय विद्युत क्षेत्र का विनियामक ढांचा, वितरण कंपनियों द्वारा प्रदर्शन के मानक का अनुपालन
- विद्युत क्षेत्र के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और ऐपटेल के विनियमों, मामलों और ऐतिहासिक निर्णयों के विधिक पहलू
- अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग
- विद्युत क्षेत्र के विभिन्न विनियम और संबद्ध मुद्दे
- पूर्व विनियमों की प्रक्रिया / कार्यप्रणाली और विधान के समक्ष इनका प्रस्तुतिकरण

3 वर्ष 2016–17 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां (सीईआरसी / एसईआरसी / जेईआरसी)

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा इसके लिए सौंपे गए दायित्वों के बारे में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने संज्ञान लेते हुए, विद्युत क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलें की।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत तक, नवीकरणीय ऊर्जा के अधीन कुल स्थापित क्षमता 57260.23 मेगावाट थी। इसमें से पवन ऊर्जा और सौर में क्रमशः 32279.77 मेगावाट और 12288.83 मेगावाट की क्षमता है। शेष क्षमता को लघु हाइड्रो पावर, बायोमास, अपशिष्ट–से–ऊर्जा आदि के बीच शेयर किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को 175 गीगावॉट तक बढ़ा दिया है जिसमें 100 गीगावॉट सौर से, 60 गीगावॉट पवन से, 10 गीगावॉट बायोपावर से और 5 गीगावॉट लघु हाइड्रोपावर से शामिल हैं। लक्ष्य में मुख्य रूप से 40 गीगावॉट रूफ–टॉप और वृहत और मध्यम पैमाने के ग्रिड से जुड़े सौर विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 60 गीगावॉट शामिल होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लक्ष्यों के लिए, आयोग ने कई उपाय किए हैं।

आयोग ने, नवीकरणीय ऊर्जा के आंतरायिक, अनिश्चित और परिवर्तनशील प्रकृति पर विचार करते हुए, दुर्बल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (जैसे पवन और सौर) के लिए अनुसूची से पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलनों की कार्रवाई के लिए पूर्व में एक रूपरेखा तैयार की। इस रूपरेखा को साथ पवन / सौर उत्पादनकर्ताओं के साथ–साथ प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है। केंद्रीकृत पूर्वानुमान ग्रिड प्रबंधन के दृष्टिकोण से है और संतुलन की जरूरतों का आकलन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि उत्पादनकर्ता द्वारा पूर्वानुमान का उद्देश्य अनुसूची से विचलन को कम करना है। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों में परिणामी संशोधन किए गए।

नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी ग्रिड एकीकरण को और अधिक सुकर बनाने के लिए, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने केंद्रीय उत्पादन स्टेशन और अंतर–राज्यिक उत्पादन स्टेशनों के प्रचालन के लिए अधिकतम निरंतर रेटिंग (एमसीआर) या स्थापित क्षमता (आईसी) या नाम प्लेट रेटिंग के 55% पर तकनीकी न्यूनतम अनुसूची प्रदान करने के लिए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में संशोधन किया। यह उपबंध आवश्यक था क्योंकि 11वीं और 12वीं योजना के दौरान बड़ी क्षमता परिवर्धन, बड़े स्तर पर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के परिवर्धन आदि के कारण कई उत्पादनकारी स्टेशनों से खंड भार पर प्रचालन करना अपेक्षित था। उत्पादनकारी स्टेशनों के हितों का ध्यान रखने के लिए संशोधन विनियम में स्टेशनों में अवनयन के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है, स्टेशन हीट दर में अवनयन के लिए क्षतिपूर्ति गिरावट के लिए मुआवजे, सहायक ऊर्जा की खपत और तकनीकी न्यूनतम तक इकाई (इकाइयों) के बैकिंग डाउन के मामले में स्टार्ट अप ईंधन लागत की व्यवस्था है। तकनीकी न्यूनतम से नीचे अनुसूचीकरण के मामले में उत्पादनकर्ता के पास रिजर्व को बंद करने का विकल्प है।

संशोधन विनियम में केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों और अंतर–राज्यिक उत्पादन स्टेशनों और अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणालियों के पूर्व परीक्षण और वाणिज्यिक प्रचालन के लिए विनियामक रूपरेखा की भी व्यवस्था है। विनियम, पूर्व परीक्षण और वाणिज्यिक प्रचालन के संबंध में उत्पादन कंपनियों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र / राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उत्पादनकारी स्टेशनों के हिताधिकारियों और पारेषण प्रणालियों को भिन्न दायित्व सौंपते हैं।

आयोग नवीकरण के प्रबंधन में राज्यों द्वारा सामना की जा रही प्रचालन चुनौतियों का बारीकी से निरीक्षण करता है, जो सामान्यतः राज्यों को अनुसूची से विचलित होने का कारण बनता है, और इसके परिणामस्वरूप भारी वित्तीय बोझ होता है। इस संदर्भ में, कई राज्यों ने सीईआरसी, विद्युत मंत्रालय, एमएनआरई, पोसोको, और अन्य हितधारकों के साथ बैठकों में प्रस्तुतियां दीं, जिसमें कहा गया है कि विचलन सीमा से भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है और राज्यों द्वारा आरंभ की जा रही अधिक नवीकरणीय क्षमता को रोका रहा है। इसके बाद, आयोग नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) समृद्ध राज्यों सहित सभी हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चाओं में जुटा रहा।

आयोग ने स्वीकार किया कि पवन और सौर (कुछ हद तक) विद्युत के क्षीण स्रोत हैं। ग्रिड पर पवन और सौर उत्पादनकर्ताओं की उच्च क्षमता के प्रबंधन का समाधान बेहतर पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और संतुलन क्षमता में निहित है। यद्यपि, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र इस क्षमता

का निर्माण पवन और सौर उत्पादक स्टेशनों की उच्चतर क्षमता का प्रबंधन करने के लिए करता है, अस्थायी राहत के रूप में, आयोग ने अन्य सभी राज्यों के लिए मौजूदा विचलन व्यवस्थापन तंत्र सीमाओं को बरकरार रखते हुए, नवीकरणीय–समृद्ध राज्यों के लिए विचलन सीमाओं को शिथिल करने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने पावर एक्सचेंजों पर प्रचालन प्रभारों के प्रभाव का संज्ञान लिया चूंकि प्रतिभागियों की उच्चतर संख्या के साथ पावर एक्सचेंज की तुलना में प्रतिभागियों की कम संख्या के साथ पावर एक्सचेंज में संव्यवहार करने वाले प्रतिभागियों को नुकसान हुआ था, चूंकि उस एक्सचेंज में प्रतिभागियों को प्रचालन प्रभारों का उच्चतर हिस्सा वहन करना पड़ा था। ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो कि प्रतिभागियों को ऐसे पावर एक्सचेंज के आधार पर जिस पर वह व्यापार कर रहा है, लाभ या नुकसान में नहीं डालता है और प्रत्येक प्रतिभागी पर राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रचालन प्रभार के उचित शेयर की उगाही के लिए, केविविआ ने मूल विनियमन में संशोधन किया। संशोधन में यह व्यवस्था है कि सामूहिक संव्यवहार के मामले में, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रचालन प्रभारों को संबंधित विद्युत एक्सचेंज में संव्यवहारों के लिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रादेशिक परिधि में अपनी अनुसूचित ऊर्जा (मेगावाट प्रति घंटा) के आधार पर प्रत्येक सफल क्रेता और विक्रेता द्वारा देय होंगे। राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रचालन प्रभारों को विद्युत एक्सचेंजों द्वारा एकत्रित किया जाएगा और दैनिक आधार पर राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र को अंतरित किया जाएगा। सामूहिक संव्यवहारों के लिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रचालन प्रभारों की दर रु. 1 / मेगावाट प्रति घंटा होगी। एक दिन के लिए सामूहिक संव्यवहार के मामले में प्रत्येक सफल क्रेता और विक्रेता द्वारा देय राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रचालन प्रभार रुपये 200 प्रति दिन की अधिकतम सीमा तक बना रहेगा।

बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के अधीन एक पहल प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना का आरंभ था, जो ऊर्जा प्रधान बड़े उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधारों की लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बाजार आधारित तंत्र है। पीएटी नियम 2012 की धारा 12 ने केंद्रीय सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने की शक्तियां दीं। पीएटी नियमों ने पावर एक्सचेंजों को उन प्लेटफार्मों के रूप में भी नामित किया है जिनके माध्यम से ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों का कारोबार किया जाएगा और प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

चूंकि पावर एक्सचेंजों को केविविआ द्वारा विनियमित किया जाता है, इसलिए केविविआ ने पावर एक्सचेंजों में संव्यवहार किए जाने वाले उत्पाद के रूप में ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों को शामिल करने के लिए आवश्यक विनियामक रूपरेखा बनाई और तदनुसार, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र विनियम, 2016 अधिसूचित किया। ये विनियम आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों में संविदाओं सहित पावर एक्सचेंजों में संव्यवहार के लिए प्रस्तुत किए गए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों पर लागू होते हैं और ईसी अधिनियम, पीएटी नियम 2012 और इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार इनका निपटान किया जाएगा।

ये विनियम पावर एक्सचेंजों में ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों में निपटान के लिए पात्र संस्थाओं को निर्दिष्ट करते हैं और रजिस्ट्री के रूप में पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार द्वारा विद्युत मंत्रालय में नामित) के अधीन प्रचालित राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र को नामित करते हैं। रजिस्ट्री, विनियमों में यथापरिभाषित विभिन्न कृत्यों को करने के लिए है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) को विनियमों में यथापरिभाषित विभिन्न कृत्यों को करने के लिए प्रशासक के रूप में नामित किया गया है। संव्यवहारों की निगरानी और इन विनियमों के अनुपालन का प्राथमिक दायित्व बीईई के पास है। विनियमों में आगे निर्दिष्ट है कि ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों का निपटान आयोग के पूर्व अनुमोदन के बाद पावर एक्सचेंजों के नियमों और उपनियमों के अनुसार होगा। ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के संव्यवहार की आवृत्ति मासिक आधार पर होगी। ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों की बाजार कीमत संबंधित पावर एक्सचेंज में बोली की प्रक्रिया के माध्यम से पता लगाई जाएगी। आयोग, बीईई के परामर्श से, रजिस्ट्री को पात्र संस्थाओं द्वारा देय शुल्क और प्रभारों का अवधारण आदेश द्वारा करता है।

केन्द्रीय आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली रूट पर आधारित टैरिफ के अधीन पारेषण परियोजनाओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के संबंध में भारत सरकार को सुझाव दिया और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पारेषण सेवाओं के लिए मानक बोली दिशानिर्देशों के विनिर्दिष्ट संबंध में आगे का रास्ता सुझाया। इस सुझाव का लक्ष्य पारेषण क्षमता के सुचारु और तीव्र विकास को दक्ष और किफायती रूप से सुकर बनाना है, विशेष रूप से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली (टीबीसीबी) रूट के अधीन चूंकि सुझाए गए विनिर्दिष्ट उपायों के समयबद्ध कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता है।

केंद्रीय आयोग ने भारत सरकार को क्रॉस बॉर्डर व्यापार से संबंधित विनिर्दिष्ट मुद्दों के संबंध में भी सुझाव दिया। विद्युत मंत्रालय ने भारत और पड़ोसी देशों के बीच विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार को सुकर बनाने के उद्देश्य से विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार के संबंध में दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। इन दिशानिर्देशों में वास्तव में भारत और इसके पड़ोसी देश के बीच, संबंधित सरकारों के अनुमोदन से दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से, पारेषण अंतर–संयोजन नियोजन की व्यवस्था है। ग्रिड के सुरक्षित और नियंत्रित प्रचालन के लिए, दिशानिर्देशों में पूलिंग स्टेशनों के बीच क्रॉस बॉर्डर पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए भी व्यवस्था है और दो पूलिंग सबस्टेशनों के बीच इस अंतर–संयोजन की उचित समन्वय के साथ संबंधित प्रणाली प्रचालकों द्वारा निगरानी की जाएगी और नियंत्रित किया जाएगा। आयोग ने, विद्युत के क्रॉस बॉर्डर व्यापार को पूरा करने के लिए पारेषण लिंक की स्थापना को सुकर बनाने के अनुसरण में, भारतीय बॉर्डर तक पूलिंग सबस्टेशनों के बीच पारेषण लिंकों, जो कि प्रकृति

में संवेदनशील हैं और देश के लिए कार्यनीतिक महत्व के हैं, के संबंध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को सुझाव दिया।

असम विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियमन को अधिसूचित किया गया

- एईआरसी (परामर्शदाताओं की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 (प्रथम संशोधन) 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2016–19 के लिए बहुवर्ष टैरिफ आदेश और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ – असम विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड (एईजीसीएल)
- वित्तीय वर्ष 2016–19 के लिए बहुवर्ष टैरिफ आदेश और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए स्टेशन वार टैरिफ– असम विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एपीजीसीएल)
- वित्तीय वर्ष 2016–19 के लिए बहुवर्ष टैरिफ ऑर्डर और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ – असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल)

आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियमन को अधिसूचित किया गया

- एपीईआरसी नवीकरणीय विद्युत खरीद (नवीकरणीय ऊर्जा / नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद द्वारा अनुपालन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एपीएसपीडीसीएल और एपीईपीडीसीएल के खुदरा आपूर्ति कारोबारों के लिए टैरिफ ऑर्डर
- पवन विद्युत परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 01–04–2017 से 31–03–2018 तक लागू सामान्य अधिमान्य टैरिफ को अधिसूचित करने का आदेश

अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए:

- नवीकरणीय विद्युत खरीद बाध्यता और इसका अनुपालन विनियमन (दूसरा संशोधन) 2016
- नेट मीटरिंग के आधार पर रूफटॉप सौर ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणालियां
- परामर्शदाताओं की नियुक्ति विनियम–2017

बिहार विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- बीईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) (5वां संशोधन) विनियम, 2016
- बीईआरसी (सौर ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (4वां संशोधन) विनियम, 2016
- बीईआरसी (नवीकरणीय खरीद बाध्यता, इसका अनुपालन और आरईसी फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) (2वां संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण और बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) को मंजूरी
- राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएसडीसी) ने एसएसडीसी के लिए पृथक एआरआर के लिए याचिका दायर की
- रूफटॉप सौर पीवी और लघु विद्युत परियोजनाओं और सौर थर्मल विद्युत परियोजनाओं सहित सौर पीवी परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सामान्य स्तरित टैरिफ
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में आरंभ किए जाने वाले बायोमास बागसे आधारित सह–उत्पादन संयंत्रों, बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत संयंत्र और एमएसडब्ल्यू आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए सामान्य स्तरित टैरिफ

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- सीएसईआरसी (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2016
- सीएसईआरसी (अंतःराज्यिक उपलब्धता आधारित टैरिफ और विचलन व्यवस्थापन तंत्र) विनियम, 2016
- सीएसईआरसी (अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं हेतु उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें और सहबद्ध मामले) विनियम, 2016
- सीएसईआरसी (नवीकरणीय खरीद बाध्यता और आरईसी फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) विनियम, 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- राज्य के स्वामित्व वाली वितरण, पारेषण, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और उत्पादनकारी कंपनियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक नियंत्रण अवधि के लिए पूंजी निवेश योजना की स्वीकृति
- राज्य के स्वामित्व वाली वितरण, पारेषण और उत्पादनकारी कंपनियों के लिए बहुवर्ष नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21) के लिए एआरआर का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वितरण कंपनी के लिए खुदरा टैरिफ का अवधारण
- सीएसईआरसी के अनुसार सामान्य टैरिफ का निर्धारण (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा

उत्पन्न विद्युत के लिए उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें और सहबद्ध मामले) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड और प्रदर्शन मानक (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016
- दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड और प्रदर्शन मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2016
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2017

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग रूफटॉप सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली) विनियम, 2016
- जीईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड और सहबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016
- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (बहु–वर्ष टैरिफ) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के ट्रूइंग अप के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण यूटिलिटीज के लिए टैरिफ आदेश और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ का अवधारण

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एचईआरसी (उपभोक्ता विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता अधिवक्ता की शिकायतों के निवारण के फोरम की स्थापना के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2016
- एचईआरसी (डीएसएम कार्यक्रमों की लागत प्रभावशीलता आकलन) दिशानिर्देश, 2016
- एचईआरसी (मूल्यांकन, डीएसएम कार्यक्रमों का मापन और सत्यापन) दिशानिर्देश, 2016
- एचईआरसी (अनुरोध पर विद्युत की आपूर्ति करने की ड्यूटी, आपूर्ति प्रदान करने में किए गए व्यय को पुनर्प्राप्त करने की शक्ति और सुरक्षा की आवश्यकता की शक्ति) विनियम, 2016
- एचईआरसी (स्मार्ट ग्रिड), विनियम, 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एआरआर के ट्रू–अप के लिए याचिका, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक (मध्य–वर्ष) प्रदर्शन की समीक्षा और यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पुनरीक्षित एआरआर और वितरण और खुदरा आपूर्ति टैरिफ का अवधारण

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एचपीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का संवर्धन और टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016
- एचपीईआरसी (प्राधिकृत उपभोक्ता प्रतिनिधि) विनियम, 2016
- एचपीईआरसी (क्रॉस सब्सिडी अधिभार, अतिरिक्त अधिभार और क्रॉस सब्सिडी का चरणबद्धता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016
- एचपीईआरसी (विद्युत की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017
- एचपीईआरसी (नवीकरणीय विद्युत खरीद बाध्यता और उसका अनुपालन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017
- एचपीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन का संवर्धन और टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- बहुवर्ष अवधि (वित्तीय वर्ष 15–19) के लिए दूसरा एपीआर आदेश एवं वित्तीय वर्ष 2017 के लिए टैरिफ का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2013 और 2014 का ट्रू अप
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एमएसडब्ल्यू / आरडीएफ परियोजनाओं के लिए सामान्य स्तरीय टैरिफ का आदेश
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सौर पीवी परियोजनाओं के लिए सामान्य स्तरीय टैरिफ

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और केंद्र शासित प्रदेश)

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियमन अधिसूचित किया गया

- जेईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) तीसरा संशोधन विनियम, 2010

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किया:

- वित्तीय वर्षों 2016–17 और 2017–2018 के लिए सौर पीवी के लिए सामान्य स्तरीय उत्पादन टैरिफ के लिए आदेश

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- विद्युत आपूर्ति कोड (सातवां संशोधन) विनियम, 2016
- विद्युत आपूर्ति कोड (आठवां संशोधन) विनियम, 2017
- विद्युत आपूर्ति कोड (नौवां संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किया है:

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ट्रू अप टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए समीक्षाएं वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए पुनरीक्षित सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ

झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- जेएसईआरसी (कारोबार का संचालन विनियम), 2016
- जेएसईआरसी (हवा, बायोगैस, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ का अवधारण और व्युत्पन्न ईंधन आधारित विद्युत परियोजनाओं) विनियम, 2016
- जेएसईआरसी (लघु हाइड्रो टैरिफ) विनियम 2016
- जेएसईआरसी (पवन और सौर के लिए अनुसूचीकरण और पूर्वानुमान) विनियम 2016
- जेएसईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता और इसका अनुपालन) विनियम 2016
- जेएसईआरसी (विद्युत विनियामक लेखांकन) विनियम 2016
- जेएसईआरसी (अंतः राज्यिक निर्बाध पहुंच) विनियम 2016
- जेएसईआरसी (बायोमास और वाष्पीकरण आधारित परियोजनाओं और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ का अवधारण) विनियम 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2015–16 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 की बहुवर्ष टैरिफ अवधि के लिए कारोबार योजना और एआरआर और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ के संबंध में आदेश
- टाटा स्टील लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2015–16 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020–21 की बहुवर्ष टैरिफ अवधि के लिए कारोबार योजना और एआरआर और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ के संबंध में आदेश
- टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा याचिका (वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ट्रू अप सहित) के संबंध में आदेश
- तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा के लिए याचिका (वित्तीय वर्ष 2012–13 और वित्तीय 2013–14 के लिए ट्रूइंग अप सहित) के संबंध में आदेश

कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियमन को अधिसूचित किया गया

- केईआरसी के लिए चौथा संशोधन (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

- वित्तीय वर्ष 2018 के लिए पारेषण वितरण अनुज्ञप्तिधारियों (केपीटीसीएल, एस्कॉमस, हुकेरी आरईसीएस, मैंगालोर एसईजेड) और एईक्यूयूएस एसईजेड की टैरिफ याचिका
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एपीपीसी की ट्रूइंग अप और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनंतिम औसत विद्युत खरीद लागत (एपीपीसी) को अधिसूचित करना।
- सभी एएसकॉम के ईंधन लागत समायोजन प्रभारों के चार तिमाही दावों के संबंध में आदेश

केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- केरल विद्युत आपूर्ति कोड (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2016
- केरल विद्युत आपूर्ति (संशोधन) कोड, 2017

महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एमईआरसी (फीस और प्रभार) विनियम, 2017
- एमईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) प्रथम संशोधन विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ट्रूइंग–अप, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनंतिम ट्रूइंग–अप और वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2019–20 की तृतीय

नियंत्रण अवधि के लिए बहु–वर्ष टैरिफ के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की याचिका

- वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2014–15 का ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनंतिम ट्रूइंग–अप और वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ के लिए बृहन् मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपक्रम की याचिका
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनंतिम ट्रूइंग–अप और वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ के लिए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (वितरण कारोबार) की याचिका
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनंतिम ट्रूइंग–अप और वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2019–20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वितरण कारोबार) की याचिका

मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एमपीईआरसी (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (पुनरीक्षण – 1) (चौथा संशोधन) विनियम, 2009
- एमपीईआरसी (कारोबार का संचालन) (पुनरीक्षण –I) विनियम, 2016
- एमपीईआरसी (फीस, जुर्माना और प्रभार) (पुनरीक्षण – I) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010
- एमपीईआरसी (माइक्रो–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति) विनियम, 2016
- एमपीईआरसी (स्मार्ट ग्रिड) विनियम, 2016 (2016 का जी–41)
- एमपीईआरसी (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एमपीपीजीसीएल ट्रू–अप आदेश
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा आपूर्ति टैरिफ का अवधारण
- मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. द्वारा दायर की गई वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए एआरआर के ट्रू–अप के लिए आदेश की समीक्षा।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के नियंत्रण अवधि के लिए बहु वर्ष पारेषण टैरिफ आदेश

मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एमएसईआरसी (उपभोक्ता शिकायतों का निवारण और लोकपाल) विनियम 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए उत्पादन कंपनी का टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए पारेषण कंपनी का टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वितरण कंपनी का टैरिफ आदेश

नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- आरपीओ और इसका अनुपालन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016
- बहु वर्ष टैरिफ विनियम, 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ के संबंध में आदेश

ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- आरपीओ पर विनियम, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए विद्युत खरीद के 7.50% कुल लक्ष्य में से सौर स्रोत से 3% है और गैर–सौर स्रोतों से 4.50% है
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए लागू किए जाने वाले व्हीलिंग प्रभार और क्रॉस–सब्सिडी अधिभार के संबंध में विनियमन

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- जीआरआईडीसीओ, ओएचपीसी, ओपीजीसी, ओपीटीसीएल, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और चार वितरण कंपनियों अर्थात् सीईएसयू, एनईएससीओ, डब्ल्यूईएससीओ और साउथको के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान अनुज्ञप्तिधारियों / उत्पादनकर्ताओं के लिए दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी होने वाले वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ के संबंध में आदेश

पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड और सहबद्ध मामले) विनियम, 2014 (प्रथम संशोधन)
- पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड और सहबद्ध मामले) विनियम, 2014 (दूसरा संशोधन)
- पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (फोरम और लोकपाल) विनियम, 2016
- पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड और सहबद्ध मामले) विनियम, 2014 (तीसरा संशोधन)

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) और पंजाब राज्य पारेषण निगम लिमिटेड (पीएसटीसीएल) के लिए टैरिफ आदेश

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए:

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की निवेश योजना का अनुमोदन
- राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पारेषण और एसएलडीसी प्रभारों की वसूली के लिए एआरआर और टैरिफ का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एआरआर का ट्रू अप
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा आपूर्ति टैरिफ का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एआरआर के ट्रू–अप का अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए निवेश योजना
- जोधपुर वितरण कंपनियों के वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए विद्युत खरीद की पूल लागत का अवधारण
- वितरण कंपनियों की लागत सब्सिडी अधिभार (सीएसएस) का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वितरण कंपनियों के एआरआर का ट्रूइंग अप
- वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वितरण कंपनियों की निवेश योजना का अनुमोदन
- वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का अवधारण
- अजमेर वितरण कंपनियों के वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विद्युत खरीद की पूल लागत का अवधारण
- जोधपुर वितरण कंपनियों के वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विद्युत खरीद की पूल लागत का अवधारण
- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर और टैरिफ का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए ट्रूइंग अप
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान लागू सौर पीवी और सौर थर्मल विद्युत परियोजनाओं के लिए बेंचमार्क पूंजी लागत का अवधारण और परिणामी जेनेरिक स्तरीकृत टैरिफ

सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियमन को अधिसूचित किया गया

- एसएसईआरसी (कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- ऊर्जा और विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ आदेश
- ऊर्जा और विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ आदेश

त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, लोकपाल और उपभोक्ता वकालत विनियम –2016
- फीस आदि से संबंधित विविध उपबंध विनियम, 2016
- पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण आदि का विनियम, 2016
- नवीकरणीय ऊर्जा विनियम, 2016 का पहला संशोधन

तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं

- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए व्यापक टैरिफ आदेश
- सौर विद्युत पर व्यापक टैरिफ आदेश

तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- 2017 का विनियम नंबर 1 (निर्बाध पहुंच संव्यवहारों के लिए अंतरिम संतुलन और व्यवस्थापन कोड का तीसरा संशोधन)
- 2016 का विनियम नंबर 6 (रूफ–टॉप सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली से विद्युत की बिक्री और ग्रिड के साथ संयोजकता के लिए विनियम)
- 2016 का विनियमन नंबर 05 (अनुज्ञप्तिधारियों के प्रदर्शन के मानक)
- 2016 का विनियमन नंबर 4 (वितरण अनुज्ञप्तिधारी विनियम)

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियमन को अधिसूचित किया गया

- यूपीईआरसी मिनी ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति विनियमन, 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- याचिका संख्या 1065/2015 में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए डीवीवीएनएल टैरिफ आदेश
- याचिका संख्या 1059/2015 में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए केईएससीओ टैरिफ आदेश
- याचिका संख्या 1063/2015 में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एमवीवीएनएल टैरिफ आदेश
- याचिका संख्या 1057/2015 में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एनपीसीएल टैरिफ आदेश
- याचिका संख्या 1066/2015 में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पीयूवीवीएनएल टैरिफ आदेश
- याचिका संख्या 1064/2015 में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पीवीवीएनएल टैरिफ आदेश
- याचिका संख्या 1058/2015 में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए यूपीपीटीसीएल टैरिफ आदेश
- याचिका संख्याओं (1025/2015 और 1026/2015) में वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अंतिम ट्रू अप का अवधारण करने और वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) के थर्मल पावर स्टेशनों के लिए बहु वर्ष टैरिफ का अवधारण और वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन के लिए आदेश

उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादनकारी स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य निबंधन) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2016
- यूईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016
- यूईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016
- यूईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध (मामले) विनियम, 2017

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ट्रूइंग अप के साथ वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफों को मंजूरी देते हुए यूपीसीएल (वितरण कंपनी), राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी, के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ट्रूइंग अप के साथ वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफों को मंजूरी देते हुए यूजेवीएन लि., उत्तराखंड राज्य में उत्पादनकारी कंपनी, के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ट्रूइंग अप के साथ वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पीटीसीयूएल, राज्य में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए टैरिफ आदेश

पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वर्षों 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के लिए इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का टैरिफ आवेदन
- वर्षों 2014–2015, 2015–2016 और 2016–2017 के लिए सीईएससी लिमिटेड का टैरिफ आवेदन
- वर्षों 2014–2015, 2015–2016 और 2016–2017 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड का टैरिफ आवेदन
- वर्षों 2014–2015, 2015–2016 और 2016–2017 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का टैरिफ आवेदन

4

राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति

1. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची (अनुबंध– I)
2. वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की समयबद्धता (अनुबंध– II)
3. 31 मार्च, 2017 को ऐपटेल को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल का कार्य (अनुबंध– III)

5 एसईआरसी के अध्यक्ष की सूची

विनियामक मंच के सदस्य ख्एफ ओ आर, (31–03–2017 की स्थिति		
विनियामक फोरम के अध्यक्ष		
01.	श्री गिरीश बी प्रधान	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
विनियामक फोरम के सदस्य		
02.	श्री जी भवानी प्रसाद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)	आंध्र विद्युत विनियामक आयोग (APERC)
03.	श्री आर.पी. सिंह	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (APSERC)
04.	श्री नाबा कुमार दास	असम विद्युत विनियामक आयोग (AERC)
05.	श्री एस के नेगी	बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (BERC)
06.	श्री नारायण सिंह	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (CSERC)
07.	–––	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC)
08.	श्री आनंद कुमार	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (GERC)
09.	श्री जगजीत सिंह	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC)
10.	श्री एस.के.बी.एस. नेगी	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (HPERC)
11.	–––	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विनियामक आयोग (J&KSERC)
12.	श्री नरेंद्र नाथ तिवारी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (JSERC)
13.	श्री एम.के. गोयल	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग–गोवा एवं संघशासित प्रदेश
14.	–––	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग –मणिपुर एवं मिजोरम
15.	श्री एम– के– शंकरलिंगे गौड़ा	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (KERC)
16.	श्री टी.एम. मनोहरन	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (KSERC)
17.	श्री देव राज बिर्डी	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (MPERC)
18.	–––	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (MERC)
19.	श्री डब्ल्यू.एम.एस. परिआत	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (MSERC)
20.	श्री इमलीकुमजुक एओ	नगालैंड विद्युत विनियामक आयोग (NERC)
21.	श्री यू.एन. बेहरा	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (OERC)
22.	श्री डी.एस. बैंस	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (PSERC)
23.	श्री विश्वनाथ हिरेमठ	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC)

24.	श्री नंदा राम भट्टराई	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SSERC)
25.	श्री एस अक्षय कुमार	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (TNERC)
26.	श्री इस्माइल अली खान	तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (TSERC)
27.	श्री निहारेंदु चक्रवर्ती	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (TERC)
28.	श्री देश दीपक वर्मा	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (UPERC)
29.	श्री सुभाष कुमार	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC)
30.	श्री रवीन्द्र नाथ सेन	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (WBERC)

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सचिव
विनियामक फोरम,
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तृतीय व चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग
36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001

हमने 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और कार्यनिष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरणी गलत विवरणों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रकटन का समर्थन करने वाले परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच शामिल है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए शामिल किया जाता है।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान क्षमता निर्माण के लिए विद्युत मंत्रालय से विनियामक फोरम द्वारा प्राप्त रु. 46.57 लाख की वित्तीय सहायता में से रु. 14.48 लाख वित्तीय वर्ष 2017–18 में आगे ले जाए गए।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों के अनुसार इस उचित एवं सही रूप में दिया गया हैः

क) 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलन पत्र के मामलें में और
ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते एमबीआर एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता./–
(मुकेश शर्मा)
साझेदार
सदस्यता सं. 511275
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 27 नवम्बर, 2017

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि– रु. में)

कोरपस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कोरपस/पूंजी निधि	1	370.11	370.11
रिजर्व एवं अधिशेष	2	375.40	336.27
निश्चित की गई/ बंदोबस्त निधियां	3	18.13	137.48
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	64.67	12.46
कुल		**828.31**	**856.32**
आस्तियां			
नियत आस्तियां	5	0.90	1.67
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	6	827.41	854.65
कुल		**828.31**	**856.32**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं खाते पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27–11–2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि– रु..में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
फीस/अंशदान	7	180.00	180.00
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	3	32.23	–
एमएनआरई से प्राप्त अनुदान	3	0.13	–
अर्जित ब्याज	8	53.86	60.04
अन्य आय	9	5.44	0.94
कुल (क)		**271.66**	**240.98**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	1.05	15.27
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	11	183.45	156.17
उपयोग किए गए अनुदान (विद्युत मंत्रालय)	3	32.23	–
उपयोग किए गए अनुदान (एमएनआरई)	3	0.13	–
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष के अंत में निवल कुल)		0.76	0.59
पूर्व अवधि व्यय		–	0.05
कुल (ख)		**217.62**	**172.08**
आय के व्यय से आधिक्य होने पर शेष (क–ख)		**54.04**	**68.90**
कर के लिए प्रावधान		14.90	–
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण		39.14	68.90
अधिशेष/(घाटा) का शेष कोरपस/पूंजी निधि में ले जाया गया		–	–
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 021360एन/सी400025

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27–11–2017

31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची 1 – कोरपस/पूंजीगत निधि	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष		370.11		370.11
जोडेंः कोरपस/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	–		–	
जोड़/(घटा): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आयः (व्यय) का शेष	–	–	–	–
वर्ष के अंत में शेष		**370.11**		**370.11**
अनुसूची 2 –रिजर्व एवं अधिशेषः	**चालू वर्ष**	**पूर्ववर्ती वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पूर्ववर्ती वर्ष**
1. रिजर्व पूंजीः				
अंतिम खाते के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटाः वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
2. पूनर्मूल्यन रिजर्वः				
अंतिम खाते के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटाः वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
3. विशेष रिजर्व				
अंतिम खाते के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटाः वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
4. सामान्य रिजर्व				
अंतिम खाते के अनुसार	336.26		**267.36**	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	39.14		**68.91**	
घटाः वर्ष के दौरान कटौती	–	**375.40**	–	**336.27**
कुल		**375.40**		**336.27**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27–11–2017

31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची 3 – निश्चित की गई/बंदोबस्त निधियां	निधि–वार विवरण				जोड़			
	योजना निधि		एमएनआरई निधि		चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क) निधियों का आरंभिक शेष		23.27		114.21		137.48		196.34
ख) निधियों में परिवर्धन:								
i. दान/अनुदान	**46.57**		–		**46.57**		**89.16**	
ii. निधियों से किए गए निवेशों से आय	0.44		0.29		0.73		12.38	
iii. अन्य वृद्धि (स्वरूप निर्दिष्ट करें)	–	47.01	3.65	3.93	3.65	50.94	–	101.54
कुल (क+ख)		**70.28**		**118.15**		**188.43**		**297.88**
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग / व्यय								
i. पूंजीगत व्यय								
– नियत आस्तियां	–		–					
– अन्य	–	–	–	–		–		–
कुल		–		–		–		–
ii. राजस्व व्यय								
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि।	–		–		–		–	
– किराया	–		–		–		–	
– अन्य प्रशासनिक खर्चे	**42.07**	**42.07**	**0.13**	**0.13**	**42.20**	**42.20**	**50.16**	**50.16**
iii. वापस की गई अव्ययित वित्तीय सहायता		**13.73**		**114.37**		**128.10**		**110.24**
कुल		**55.80**		**114.50**		**170.30**		**160.40**
कुल (ग)		**55.80**		**114.50**		**170.30**		**160.40**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)		**14.48**		**3.65**		**18.13**		**137.48**

नोट
1) अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर संगत शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण किए जाएंगे।
2) केन्द्रीयध्राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाएगा और किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 021360एन/सी400025

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27–11–2017

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची 4 – चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क – चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां		–		–
2. विविध ऋणदाता :				
क) माल के लिए	–		–	
ख) अन्य	0.20	0.20	–	–
3. प्राप्त अग्रिम		–		1.04
4. उपचित परंतु देय नहीं ब्याजः				
क) जमानती ऋण/उधार	–		–	
ख) गैर–जमानती ऋण/उधार	–	–	–	–
5. सांविधिक देयताएं :				
क) अतिदेय	–		–	
ख) अन्य	–	–	–	–
6. अन्य चालू देयताएं		–		5.38
कुल (क)		0.20		6.42
ख – प्रावधान				
1. कराधान के लिए				–
(i) **पूर्ववर्ती वर्ष**	18.84			
(ii) **चालू वर्ष**	14.90	33.74		
2. ग्रेचुअटी		–		–
3. सेवानिवृत्तिध्पेंशन		–		–
4. संचयित अवकाश नकदीकरण		–		–
5. व्यापार वारंटियां/दावे		–		–
6. अन्यः				
(i) प्रतिदेय प्रशासनिक व्यय	21.38		–	
(ii) प्रतिदेय विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	0.04		0.53	
(iii) प्रतिदेय लेखापरीक्षा फीस	0.50		0.25	
(iv) प्रतिदेय कैंटीन व्यय	0.04		0.04	
(v) प्रतिदेय श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	4.21		0.98	
(vi) प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (एफओआर की निधि) व्यय	0.05		0.05	
(vii) प्रतिदेय व्यावसायिक फीस (स्टाफ परामर्शदाता) व्यय	3.38		3.68	
(viii) प्रतिदेय वेतन	0.50		0.46	
(ix) प्रतिदेय अध्ययन एवं परामर्श (एफओआर की निधि) व्यय	0.60		–	
(x) प्रतिदेय टेलिफोन व्यय	0.03	30.73	0.05	6.04
कुल (क)		**64.47**		**6.04**
कुल (क)+(ख)		**64.67**		**12.46**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27–11–2017

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची 5 – अचल आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास ब्लॉक					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के आरंभ में आस्तियों पर वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में
क. अचल आस्तियां											
1. भूमि:	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) पूर्ण स्वामित्व	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) पट्टे पर											
2. भवन:	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) पट्टे वाली भूमि पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) इकाई से संबंध न रखने वाली भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	0.70	–	–	0.70	0.34	0.05	–	–	0.39	0.31	0.36
3. संयंत्र और मशीनरी और उपस्कर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. फर्नीचर, फिक्सचर	0.30	–	–	0.30	0.15	0.02	–	–	0.17	0.13	0.15
6. कार्यालय उपस्कर	6.98	–	–	6.98	5.83	0.69	–	–	6.52	0.46	1.16
7. कंप्यूटर/सहायक उपकरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. विद्युत अधिष्ठापन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. लाईब्रेरी की पुस्तकें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. अन्य नियत आस्तियां	7.98	–	–	7.98	6.32	0.76	–	–	7.08	0.90	1.67
चालू वर्ष का कुल	**6.16**	**1.82**	–	**7.98**	**5.72**	**0.09**	**0.50**	–	**6.31**	**1.67**	
पूर्ववर्ती वर्ष										–	–
ख. पूंजीगत अर्धनिर्मित उत्पादन										**0.90**	**1.67**
कुल											

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 021360एन/सी400025

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27–11–2017

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –6– चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क – चालू आस्तियां				
1. माल सूची :				
क) स्टोर और स्पेयर्स	–		–	
ख) खुले औजार	–		–	
ग) बिक्री के लिए माल				
तैयार माल	–		–	
अर्धनिर्मित उत्पादन	–		–	
कच्चा माल	–	–	–	–
2. विविध देनदारः				
क) 6 माह की अवधि से अधिक का बकाया कर्ज	0.18		0.18	
ख) अन्य	1.40	1.58	3.60	3.78
3. हाथ में नकदी शेष (चौक/ड्राफ्ट/अग्रदाय सहित)		0.09		0.03
4. बैंक शेष :				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ :				
– चालू खातों पर	–		–	
– जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)				
(i) नियत जमा	370.11		370.11	
– बचत खातों पर				
(i) कार्पोरेशन बैंक एसबी–सह–एएस (खाता सं. 140004)	407.98		307.33	
(ii) बैंक ऑफ इंडिया एसबी–सह–एएस (खाता सं. 2258–एमओपी)	14.48		23.15	
(iii) बैंक ऑफ इंडिया एसबी–सह–एएस (खाता सं. 2806–एमएनआरई)	–	792.57	112.84	813.44
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ :				
चालू खातों पर	–		–	
जमा खातों पर	–		–	
बचत खातों पर	–	–	–	–
5. डाकघर बचत खाते		–		–
कुल (क)		**794.24**		**817.25**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27–11–2017

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –6– चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी......)	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
ख – ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण :				
क) स्टाफ	–		–	
ख) इकाई की तरह समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य इकाइयां	–		–	
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–	–	–
2. नकद में या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ :				
क) पूंजीगत लेखा पर	–		–	
ख) पूर्व भुगतान	–		–	
ग) अन्य				
प्रतिभूति जमा (एमटीएनएल)	0.03		0.03	
(ii) स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस)	28.93		30.91	
जोड़ें: अग्रिम कर	–		18.61	
घटा: संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान				
(अर्थात् पूर्ववर्ती वर्षों के लिए प्राप्ति योग्य टीडीएस)	–	28.96	18.84	30.71
3. प्रोद्भूत आय:				
क) उद्दीष्ट/बंदोबस्त निधियों से निवेश पर	–		–	
ख) निवेशों पर – अन्य	4.21		6.69	
ग) ऋणों एवं अग्रिमों पर	–		–	
घ) अन्य (रु. ..... की अप्राप्त देय आय सम्मिलित है)	–	4.21	–	6.69
4. प्राप्तियोग्य दावे		–		–
कुल (ख)		**33.17**		**37.40**
कुल (क+ख)		**827.41**		**854.65**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 021360एन/सी400025

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27–11–2017

31 मार्च, 2017 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –7– शुल्क/अभिदान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	–	–
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान	180.00	180.00
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	–	–
4) परामर्शकारी शुल्क	–	–
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) आरटीआई शुल्क	–	–
कुल	**180.00**	**180.00**
नोट : प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियां दिखाई जाएं		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27–11–2017

31 मार्च, 2017 की अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप अनुसूचीयां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –8– अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों में	52.03	60.03
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में	–	–
ग) संस्थानों में	–	–
घ) अन्य	–	–
2. बचत खातों पर :		
क) अनुसूचित बैंकों में	0.01	0.01
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में	–	–
ग) डाकघर बचत खाते	–	–
घ) अन्य	–	–
3. ऋणों पर :		
क) कर्मचारी/स्टाफ	–	–
ख) अन्य	–	–
4. देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज	1.82	–
कुल	**53.86**	**60.04**
नोट – स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता./–	हस्ता/–	हस्ता./–
मुकेश शर्मा	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27–11–2017

31 मार्च, 2017 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –9– अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभः		
क) स्वामित्व वाली संपत्तियां	–	–
ख) अनुदानों से प्राप्त की गई परिसंपत्तियां या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां	–	–
2) वसूल किए गए निर्यात प्रोत्साहन	–	–
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	–	–
4) विविध आय	0.06	0.94
5) देयताएं जिनकी आवश्यकता नहीं	5.38	–
कुल	**5.44**	**0.94**

अनुसूची –10– स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	1.05	15.27
ख) भत्ते एवं बोनस	–	–
ग) भविष्य निधि में अंशदान	–	–
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	–	–
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	–	–
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय	–	–
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	**1.05**	**15.27**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27–11–2017

31 मार्च, 2017 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –11– अन्य प्रशासनिक खर्चे	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) क्रय	–	–
ख) मजदूरी एवं प्रसंस्करण प्रभार	18.58	11.26
ग) ढुलाई एवं आवक ढुलाई	–	–
घ) विद्युत एवं शक्ति	–	–
ङ) जल प्रभार	–	–
च) बीमा	–	–
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	–	–
ज) उत्पाद शुल्क	–	–
झ) किराया, दरें एवं कर	–	–
ञ) वाहन संचालन एवं रखरखाव	–	–
ट) डाक, टेलिफोन एवं संचार प्रभार	0.41	0.25
ठ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1.46	12.04
ड) यात्रा एवं वाहन व्यय	0.30	1.27
ढ) सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय	18.87	22.72
ण) अभिदान व्यय	–	–
त) शुल्कों पर व्यय	–	–
थ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	0.50	0.25
द) आतिथ्य व्यय	–	–
ध) व्यावसायिक प्रभार	45.87	22.57
न) अशोध्य संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	–	–
प) अपलिखित अशोध्य शेष	–	–
फ) पैकिंग प्रभार	–	–
ब) भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	–	–
भ) वितरण व्यय	–	–
म) विज्ञापन एवं प्रचार	2.71	1.88
य) क्षमता निर्माण व परामर्श	72.90	66.97
कक) सचिवीय व्यय	21.38	16.00
कख) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
i) बैंक प्रभार	0.01	0.00
ii) अन्य व्यय	0.46	0.96
कुल	**183.45**	**156.17**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 021360एन/सी400025

हस्ता./–	हस्ता/–	हस्ता./–
मुकेश शर्मा	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	सचिव
(साझेदार)		
एम.सं. 511275		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27–11–2017

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(रु. लाखों में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2016–17	पूर्ववर्ती वर्ष 2015–16	भुगतान	चालू वर्ष 2016–17	पूर्ववर्ती वर्ष 2015–16
1. आरंभिक शेषः			**1. निम्नलिखित को रिलीजः**		
(क) नकद शेष	**0.03**	0.03	भारत सरकार – एमएनआरई से अनुदान	114.37	–
			भारत सरकार – विद्युत मंत्रालय – योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	13.73	110.24
(ख) बैंक शेष					
(i) बचत खाताः					
कॉर्पोरेशन बैंक – बचत खाता (सीएलएसबी)	–	0.20			
कॉर्पोरेशन बैंक – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता (सीएनपीएसबी)	**307.33**	276.06			
बैंक ऑफ इंडिया – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता (योजना निधि)	**23.15**	83.99			
बैंक ऑफ इंडिया – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता (एमएनआरई निधि)	**112.84**	105.48			
(ii) सावधि जमा (कोरपस निधि)	**370.11**	370.11			
2. निम्नलिखित से रिलीजः			2. व्ययः		
भारत सरकार – एमएनआरई से अनुदान	–	–	**(क) स्थापना व्ययः**		
भारत सरकार – विद्युत मंत्रालय – योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	46.57	89.16	(i) वेतन	0.55	14.81
			(ख) बैठक एवं संगोष्ठी व्यय	**18.68**	**22.35**
			(ग) व्यावसायिक शुल्क (स्टाफ परामर्शदाता)	**35.42**	**18.84**
			(घ) क्षमता निर्माण एवं परामर्शः		
			– फोरम की निधि	72.30	66.97
			– योजना निधि	42.03	44.77
			(ङ) प्रशासनिक व्ययः		
			– विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	2.68	1.35
			– प्रशासनिक व्यय	–	16.00

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2016–17	पूर्ववर्ती वर्ष 2015–16	भुगतान	चालू वर्ष 2016–17	पूर्ववर्ती वर्ष 2015–16
			– लेखा परीक्षा शुल्क	–	–
			– बैंक प्रभार (फोरम की निधि)	0.00	0.00
			– बैंक प्रभार (योजना निधि)	0.00	0.00
			– बैंक प्रभार (एमएनआरई निधि)	0.10	0.00
			– कंप्यूटर मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	–	–
			– श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	17.18	10.28
			– विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	–	0.05
			– मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	1.46	11.63
			– व्यावसायिक प्रभार (लोगो)	9.08	–
			– टैलीफोन व्यय	0.38	0.20
			– यात्रा व्यय	0.30	1.27
			– **अन्य व्यय :**		
			– कैंटीन व्यय	0.39	0.35
			– ई–टीडीएस फाईल करने हेतु व्यय	0.00	0.00
			– ब्याज	–	0.50
			– कार्यालय व्यय/लेखा परीक्षा व्यय	0.01	0.07
3. आयोग की प्राप्तियां			3. **(I) स्टाफ को अग्रिम**		
			(क) अन्य अग्रिम (व्यय)		
(क) सदस्यता शुल्क (फोरम की निधि)	180.00	180.00			
(ख) आयकर प्रतिदान से ब्याज	1.32	0.94	**(II) समायोजन/विप्रेषण/देय:**		
(ग) फ्लेक्सी जमा/सावधि जमा रसीद से ब्याज:			(क) आयकर (वेतन / गैर–वेतन)	–	–
– फोरम की निधि	24.38	25.46	(ख) प्रशासनिक व्यय	–	16.00
– योजना निधि	0.42	5.42	(ग) विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	0.53	0.93
– एमएनआरई निधि	1.66	8.18	(घ) लेखा परीक्षा शुल्क	0.25	0.25
– कोरपस निधि	28.18	32.23	(ङ) कैंटीन व्यय	0.04	0.33
(घ) बचत खातों से ब्याज:			(च) श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	0.98	0.88
– फोरम की निधि	0.01	0.01	(छ) बैठक व्यय	–	2.02
– योजना निधि	0.15	0.01	(ज) कार्यालय व्यय	–	–

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2016–17	पूर्ववर्ती वर्ष 2015–16	भुगतान	चालू वर्ष 2016–17	पूर्ववर्ती वर्ष 2015–16
– एमएनआरई निधि	–	0.01	(झ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	1.04	0.00
			(ञ) व्यवसायिक प्रभार	0.05	1.28
			(ट) व्यवसायिक प्रभार (स्टाफ परामर्शदाता)	3.68	–
			(ठ) वेतन	0.46	3.51
			(ड) टैलीफोन व्यय	0.06	0.05
			(ढ) प्रशिक्षण व्यय (फोरम की निधि)	–	4.03
			(ण) ऑटो स्वीप एफडीआर से ब्याज (योजना निधि)	0.01	–
			(त) आयकर (स्रोत पर काटा गया कर)	4.79	–
			(III) अन्य:		
			(क) टीडीएस (आयकर प्रतिदान समायोजन के लिए)	–	6.65
			(ख) अग्रिम कर (आयकर प्रतिदान समायोजन के लिए)	–	18.61
4. जमा प्राप्तियां:			(ग) मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय के लिए अग्रिम	–	0.60
प्रतिभूति जमा (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	–	1.04	(घ) लेखापरीक्षा अग्रिम	–	–
			(ङ) बैठक के लिए अग्रिम	–	0.28
5. विप्रेषण प्राप्तियां			(च) व्यवसाय प्रभार (लोगो)	–	3.42
			4. नियत आस्तियों पर व्यय:		
आरईसी रूपरेखा का कार्यान्वयन – एमएनआरई निधि	**3.65**	–	(क) कंप्यूटर	–	1.62
(राज्य एजेंसियों से अव्ययित वित्तीय सहायता का प्रतिदान)			(ख) प्रिंटर	–	0.20
			5. अंतिम शेष:		
			(क) नकद केश	0.09	0.03
			(ख) बैंक शेष		
			(ii) बचत खाता:		
			कॉर्पोरेशन बैंक – बचत खाता (सीएलएसबी)	–	–

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2016–17	पूर्ववर्ती वर्ष 2015–16	भुगतान	चालू वर्ष 2016–17	पूर्ववर्ती वर्ष 2015–16
			कॉर्पोरेशन बैंक – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता (सीएनपीएसबी)	407.98	307.33
			बैंक ऑफ इंडिया – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता (योजना निधि)	14.48	23.15
			बैंक ऑफ इंडिया – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता (एमएनआरई निधि)	–	112.84
			(ii) सावधि जमा (कॉरपस निधि)	370.11	370.11
6. अन्य प्राप्तियां					
– स्रोत पर काटा गया कर (लेखा वर्ष 16–17 के लिए आयकर प्रतिदान समायोजन)	26.35	14.92			
– मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय के लिए अग्रिम	–	0.19			
– बैठक के लिए अग्रिम	–	0.10			
– अन्य प्राप्ति (केविविआ)	0.20	–			
– व्यावसायिक प्रभार (लोगो)	5.48	–			
– श्रम (आउटसोर्सिंग) (साफिर)	1.40	–			
कुल	1,133.22	1,193.53	कुल	1,133.22	1,193.53

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27–11–2017

विनियामक फोरम
अनुसूची 12 एवं 13 : (31 मार्च, 2017 को तुलन पत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुशल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उद्धृत आंकड़ों का संकलनय
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करनाय
- अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना।
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना।
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउटसोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना।
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना, और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय–समय से निर्दिष्ट करती है।

एमएनआरई की पृष्ठभूमि

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए विनियामक फोरम (एफओआर) को 24.08.2010 को रु. 300.00 लाख (रुपए तीन सौ लाख मात्र) की राशि रिलीज़ की। 31.03.2017 तक रु. 223.40 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 223.40 लाख) की राशि कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज़ की गई जिसमें रु. 153.40 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 97.00 लाख) के प्रयोक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए (प्रयोक्ता प्रमाणपत्रों के समाधान एवं अंतिम रूप दिए जाने के अधीन)। प्रयोक्ता प्रमाण पत्रों की शेष रकम के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। एमएनआरई के बचत बैंक खाते में उपलब्ध समग्र निधियों (अर्जित ब्याज के साथ मूल राशि) को दिनांक 22.04.2016 को एमएनआरई को विधिवत रूप से वापस कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट

1. **लेखांकन की पद्धति**

   लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम धारा, 2013 की धारा 133 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. **आय की मान्यता**

   प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखा बहियों में की जाती है।

3. **नियता आस्तियां और मूल्यह्रास**

   नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 61 में निर्धारित दरों के अनुसार बट्टा खाते मूल्य पद्धति पर किया गया है।

   नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन मार्च, 2017 के माह में किया गया। कुछ नियत आस्तियां जो कि अनुपयोगी स्थिति में पाई गई थीं, उन्हें लेखों से बट्टे खाते डाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य नियत आस्तियों के लिए भी, जो कि अनुपयोगी स्थिति में हैं, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन का अनुरोध किया जा रहा है और तदनुसार, इन्हें भी वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए लेखों से बट्टे खाते डाला जाएगा।

4. **कराधान**

   प्रत्यक्ष करः–

   विनियामक फोरम ने 13.12.2011 का आयकर अधिनियम 61 की धारा 10(46) के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है और छूट प्रदान की आशा में वित्तीय वर्ष 2005–06 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक वित्तीय विवरणियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। कोई आयकर विवरणी छूट प्रदान करने की आशा में वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2010–11 के लिए दाखिल नहीं की गई है। सूचना/दस्तावेज 6.9.2012 और 19.2.2013 को अवर सचिव (आईटीए–1) सीबीडीटी नई दिल्ली और एडीआईटी (ई) नई दिल्ली द्वारा मंगवाए गए सूचना/दस्तावेज जिसे क्रमशः 5.10.2012 और 15.3.2013 को प्रस्तुत किए गए। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 1884216/– की राशि वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2010–11 के लिए टीडीएस आय एवं व्यय खाते में वसूली की संदिग्धता के रूप में उपलब्ध किया गया।

   एफओआर ने वित्तीय वर्षो 2011–12 से 2015–16 के लिए छूट प्रदान करने की प्रत्याशा में शून्य आय की संगणना करते हुए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है। मामला अभी भी आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित है।

   छूट के संबंध में मामला कर परामर्शदाता द्वारा सीबीडीटी के साथ किया गया। एफओआर सीबीडीटी के साथ मामले की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ कर परामर्शदाता की सेवाओं पर किराए की प्रक्रिया में है।

   आकस्मिक देयता की रकम जो आयकर छूट प्राप्त न करने की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है जिसे सुनिश्चित नहीं किया गया और प्रदान नहीं किया गया।

   अप्रत्यक्ष करः–

   01 जुलाई, 2017 से सेवा कर अधिनियम को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। एफओआर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के पंजीकरण और अन्य अनुपालनों के लिए परामर्शदाता को काम पर रखने की प्रक्रिया में है। सेवा कर की प्रयोज्यता के संबंध में, 01 जुलाई, 2017 से पूर्व, आकस्मिक देयता की राशि, जो कि शून्य छूट की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है, को सुनिश्चित और प्रदान नहीं किया गया है।

5. **तुलन पत्र तारीख के बाद हुए कार्य**

   कोई महत्वपूर्ण कार्य जो 31.3.2017 को उस सीमा तक वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सके लेखों के अनुमोदन तक तुलन पत्र तारीख के बाद फोरम द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया।

6. **सेवानिवृत्ति लाभ**

   सभी कर्मचारी कांट्रेक्ट आधार पर हैं। उनके कांट्रेक्ट की शर्तों के आधार पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ उन्हें प्रतिदेय नहीं है और इस प्रकार नहीं दिया गया।

7. **ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में जमा और एफडीआर में निवेश**

   ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में अल्पकालिक जमा और एफडीआर को लागत पर वर्णित किया गया है और नकदी एवं बैंक शेष में दर्शाया गया है।

8. **आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनः व्यवस्था की गई।**

विनियामक फोरम (एफओआर)

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन/सी400025

हस्ता./– **मुकेश शर्मा** **(साझेदार)** **एम.सं. 511275**	**हस्ता/–** **आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**हस्ता./–** **सचिव**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27–07–2016

केविविआ का टैरिफ अनुसूची उत्पादन टैरिफ

क. थर्मल पावर स्टेशनों के लिए नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

क्र. सं.	उत्पादन कंपनी का नाम	स्टेशन	मार्च 2017 को संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	कुल ऊर्जा अनुसूची (एमयूएस)	प्रति यूनिट सामान्य स्तर पर क्षमता शुल्क (रुपये/किलोवाट घण्टा)	ईसी प्रति यूनिट (रुपये/किलोवाट घण्टा)	कुल स्तर मानकीय स्तर पर (रुपये/किलोवाट घण्टा)
		पिट हेड स्टेशन					
1.	एनटीपीसी	सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन	2000	13,940.68	0.611	1.436	2.047
2.		फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1600	9,572.19	0.844	2.517	3.361
3.		फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन –3	500	3,089.43	1.578	2.508	4.086
4.		कहलगांव एस.टी.पी.एस. 1	840	5,422.77	1.016	2.386	3.402
5.		कहलगांव एस.टी.पी.एस. – 2	1500	9,425.91	1.125	2.276	3.401
6.		कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	2100	14,991.71	0.647	1.371	2.019
7.		कोरबा एसटीपीएस स्टेज –3	500	3,587.46	1.477	1.368	2.845
8.		रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	5,967.66	0.841	1.604	2.445
9.		रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	7,370.69	0.869	1.592	2.461
10.		रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन 3	1000	7,065.46	1.494	1.574	3.068
11.		रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	2100	15,029.19	0.690	2.187	2.877
12.		रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन 3	500	3,412.91	0.935	2.182	3.118
13.		तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	7,023.19	0.909	1.657	2.566
14.		तालचर एस.टी.पी.एस. 2	2000	14,365.21	0.820	1.663	2.483
15.		तालचर थर्मल पावर स्टेशन 1	460	3,355.21	1.359	1.641	3.001
16.		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1260	6,931.42	0.797	1.754	2.550
17.		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	6,087.81	0.677	1.670	2.347
18.		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 3	1000	6,734.75	1.081	1.656	2.737
19.		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 4	1000	6,559.24	1.611	1.653	3.264
20.		विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन 5	500	3,282.65	1.489	1.655	3.144
		गैर पिट हेड स्टेशन					
1.	एनटीपीसी	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	705	1,591.53	0.791	3.651	4.441
2.		फिरोज गांधी थर्मल पावर स्टेशन 1	420	2,564.54	0.842	2.908	3.750
3.		फिरोज गांधी थर्मल पावर स्टेशन 2	420	2,735.77	0.876	2.894	3.770
4.		फिरोज गांधी ऊंचाहार टी.पी.एस. –3	210	1,427.80	1.367	2.891	4.257
5.		मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	3,431.30	1.942	2.493	4.435
6.		मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	660	406.37	1.386	2.436	3.823
7.		राष्ट्रीय राजधानी थर्मल पावर स्टेशन 1	840	2,961.70	0.866	3.309	4.175
8.		राष्ट्रीय राजधानी थर्मल पावर स्टेज –2	980	5,266.86	1.571	3.107	4.677
9.		सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन 1	1000	6,883.82	0.932	2.740	3.673
10.		सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	6,636.57	1.593	2.734	4.327

क्र. सं.	उत्पादन कंपनी का नाम	स्टेशन	मार्च 2017 को संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	कुल ऊर्जा अनुसूची (एमयूएस)	प्रति यूनिट सामान्य स्तर पर क्षमता शुल्क (रुपये / किलोवाट घण्टा)	ईसी प्रति यूनिट (रुपये / किलोवाट घण्टा)	कुल स्तर मानकीय स्तर पर (रुपये / किलोवाट घण्टा)
11.		सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन ऋ1	1980	14,799.02	1.363	1.318	2.681
12.		सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन 2	1000	7,665.49	1.285	1.356	2.641
13.		टांडा थर्मल पावर स्टेशन 1	440	2,954.38	1.212	2.869	4.081
14.		बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन –2	1320	7,280.21	1.910	2.652	4.562
15.		बोंगईगांव टीपीएस	250	1,536.63	2.406	3.162	5.568
16.	मैथन	मैथन राइट बैंक थर्मल पावर प्लांट	1050	6,886.59	1.585	1.949	3.534
17.	एसपीसीपीएल	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, झज्जर	1500	5,233.99	1.713	3.235	4.948
18.	डीवीसी	बीटीपीएस बी	630	1,300.17	0.736	2.512	3.248
19.		सी.टी.पी.एस.	260	1,717.77	0.968	2.436	3.404
20.		डी.टी.पी.एस.	210	530.73	1.608	2.607	4.215
21.		एम.टी.पी.एस. (1–3)	630	2,112.35	0.800	2.370	3.170
22.		एम.टी.पी.एस. (1–4)	210	319.15	1.145	2.370	3.515
23.		एम.टी.पी.एस. (5–6)	500	3,351.69	1.369	2.245	3.614
24.		एम.टी.पी.एस. (7–8)	1000	6,090.02	1.542	2.040	3.582
25.		सी.टी.पी.एस. (7–8)	500	3,385.09	1.608	1.798	3.406
26.		डी.एस.टी.पी.एस.	1000	6,332.19	1.685	2.174	3.483
27.		केटीपीएस	1000	3,521.87	1.708	1.994	3.882
28.		आरटीपीएस	1200	2,017.28	1.402	2.009	3.396
29.		बीटीपीएस ए	500	196.60	1.685	1.985	3.670
30.	क्रांति बिजली	मुजफ्फरपुर टी.पी.एस. स्टेज –I (2*110 एमडब्ल्यू)	220	657.12	1.158	4.070	5.228
31.		मुजफ्फरपुर टी.पी.एस. स्टेज –II (2*195 एमडब्ल्यू)	195	15.38	2.979	2.529	5.508
32.	एनएसपीसीएल	एनएसपीसीएल भिलाई विस्तार पावर प्लांट	500	3,172.37	1.859	1.911	3.770
33.	एनटीईसीएल	एनटीईसीएल– वल्लूर	1500	8,686.03	1.933	2.464	4.397
34.	एनएलसी	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड एनएलसी आईएल एवं टेंगेडको का ए जेवी (2x500 MW) - A JV of NLCIL & TANGEDCO	1000	5,812.11	1.524	2.592	4.115

ख. औसत टैरिफ ब्रेकअप रिपोर्ट लिग्नाइट और गैस

क्र. सं.	उत्पादन कंपनी का नाम	स्टेशन	मार्च 2017 को संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	कुल ऊर्जा अनुसूची (एमयूएस)	प्रति यूनिट सामान्य स्तर पर क्षमता शुल्क (रुपये / किलोवाट घण्टा)	ईसी प्रति यूनिट (रुपये / किलोवाट घण्टा)	कुल स्तर मानकीय स्तर पर (रुपये / किलोवाट घण्टा)
लिग्नाइट आधारित स्टेशन							
1.	एनएलसी	एनएलसी टीपीएस I 600 एमडब्ल्यू	600	3,004.63	0.951	4.536	5.487
2.		एनएलसी टीपीएस II स्टेज I 630 एमडब्ल्यू	630	3,709.32	0.722	3.159	3.882
3.		एनएलसी टीपीएस II स्टेज II 840 एमडब्ल्यू	840	4,901.22	0.668	3.161	3.828
4.		एनएलसी टीपीएस I विस्तार 420 एमडब्ल्यू	420	2,769.04	1.014	3.101	4.115
5.		एनएलसी टीपीएस II विस्तार 500 एमडब्ल्यू	500	1,188.65	2.121	2.878	4.999
6.		एनएलसी बीटीपीएस 250 एमडब्ल्यू	250	1,297.57	2.324	1.474	3.799
गैस आधारित स्टेशन							
1.	ओटीपीसी	ओटीपीसी त्रिपुरा पावर कंपनी, पलटन परियोजना	726.6	4,000.75	1.840	1.300	3.140
2.	टोरंट	एसयूजीएन	1147.5	4,749.61	1.209	3.854	5.063
3.		यूएनओ एसयूजीएन	382.5	प्लांट में पीपीए नहीं है			
4.		डीजीईन	1200	3.79	प्लांट में पीपीए नहीं है		
5.	नीपाको	एजीबीपी	291	1,455.92	1.693 (31081. 25 लाख रुपये के एफसी पर आधारित)	1.526	3.231
6.		एजीटीसीसीपी	135	872.37	टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाना है		
7.		टीजीबीपी	101	175.54	टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाना है		
8.	एनटीपीसी	अन्ता गैस पावर स्टेशन	419	675.39	0.685	2.541	3.231
9.		औरैया गैस पावर स्टेशन	663	535.01	0.499	3.292	3.800
10.		दादरी गैस पावर स्टेशन	830	2,274.69	0.531	2.756	3.301
11.		फरीदाबाद गैस पावर स्टेशन	432	1,155.77	0.729	2.348	3.073
12.		झनोर गंधार गैस स्टेशन	657	2,219.24	0.931	2.009	2.768
13.		राजीव गांधी गैस पावर स्टेशन	360	14.93	1.121	7.312 (तरल ईंधन पर आधारित)	1.121
14.		कावास गैस पावर स्टेशन	656	1,679.30	0.809	2.045	2.672
15.	आरजीपीपीएल	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रा लिमिटेड	1967.08	130.98	1.340	1.820	3.160
16.		रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रा लिमिटेड फेज III पी,सडी,फ	1050	6,886.59	1.340	3.33 (अप्रैल 16–सितंबर 16)	4.700
17.		रत्नागिरी गैस एंड पावर प्रा लिमिटेड फेज IV पी,सडी,फ	1050	6,886.59	1.340	3.52 (अक्तूबर 16 – मार्च 16)	4.700

ग. हाइड्रो उत्पादनकारी स्टेशनों का समन्वित टैरिफ

क्र. सं.	उत्पादनकारी कंपनी का नाम	स्टेशन	पोंडेज के साथ आरओआर	संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	अनुसूचित वाल्यूम (एमयू)	वार्षिक नियत प्रभार रुपये लाख में	समन्वित टैरिफ (रुपये/किलोवाट घण्टा)
1.	एनएचपीसी	बैरासियूल	पॉन्डेज के साथ आरओआर	180	640.96	13354.74	1.970
2.		सलाल	आरओआर	690	3237.68	29634.33	1.100
3.		टनकपुर	आरओआर	94.2	377.07	11665.00	2.960
4.		चमेरा –I	पॉन्डेज	540	2142.17	31243.42	2.160
5.		यूआरआई	आरओआर	480	2732.35	35680.58	1.590
6.		चमेरा –II	पॉन्डेज के साथ आरओआर	300	1391.76	25499.19	1.960
7.		धौलीगंगा	पॉन्डेज के साथ आरओआर	280	920.27	29509.16	2.990
8.		दुलहस्ती	पॉन्डेज के साथ आरओआर	390	2198.85	93550.03	5.640
9.		लोकतक	भंडारण	105	715.33	14248.06	3.650
10.		रंगित	पॉन्डेज के साथ आरओआर	60	326.39	10416.38	3.530
11.		तीस्ता –V	पॉन्डेज के साथ आरओआर	510	2678.31	51716.9	2.310
12.		यूआरआई –II	आरओआर	240	1439.28	46923.05	4.860
13.		निमू बाजगो	पॉन्डेज के साथ आरओआर	45	238.74	18161.01	8.810
14.		चटक	आरओआर	44	217.00	14613.38	7.980
15.		सेवा –II	पॉन्डेज के साथ आरओआर	120	457.40	19890.41	4.330
16.		चमेरा –III	पॉन्डेज के साथ आरओआर	231	892.86	40452.03	4.250
17.		पार्बती –III	पॉन्डेज के साथ आरओआर	520	666.68	33008.78	5.480
18.		टी,लडीपी–III	पॉन्डेज के साथ आरओआर	132	538.02	36070.97	6.200
19.		टी,लडीपी –IV	पॉन्डेज के साथ आरओआर	160	581.49	16164.18	2.557
20.	नीपको	कोपिली	भंडारण	200	962.95	10984.46	1.091
21.		खंदोंग	भंडारण	50	189.33	4036.27	1.932
22.		कोपिली–II	भंडारण	25	101.19	1417.26	1.722
23.		दोयंग	भंडारण	75	246.48	10156.05	4.668
24.		रंगानदी	पॉन्डेज के साथ आरओआर	405	1241.60	26046.93	2.178
25.	एनएचडीसी	इंदिरा सागर पावर स्टेशन	भंडारण	1000	3253.33	60213.11	3.697
26.		ओंकारेश्वर पावर स्टेशन	पॉन्डेज के साथ आरओआर	520	1416.63	40916.97	5.429
27.	एनटीपीसी	कोल्डम हाइड्रो पावर स्टेशन – 1	भंडारण क्षमता के साथ आरओआर योजना	800	3632.60		3.46 (रुपये 1.86/किलोवाट के अन्य प्रभारों को शामिल करके)
28.	डीवीसी	मैथन एचएस	भंडारण	63.2	122.02	3174.19	2.930
29.		पंचेत एच.एस.	पंप स्टोरेज	80	133.60	2683.86	1.430
30.		तिलैया एचएस		4	14.07	870.21	8.760
31.	एसजेवीएनएल	नपता झाकरी एच.पी.एस.	सीमित पॉन्डेज के साथ आरओआर	1500	6612.00	165684.29	2.882
32.		रामपुर एच.पी.एस.	एनजेएचपीएस के साथ मिलकर	412	1878.08	52170.64	3.226
33.	एसएचडीसी	टिहरी एचपीपी	भंडारण	1000	3101.87	134104.53	5.179
34.		कोटेश्वर एचईपी	पॉन्डेज के साथ आरओआर	400	1208.79	39333.39	3.857

घ. नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
पवन ऊर्जा			
पवन क्षेत्र –1 (सीयूएफ 20%)	6.60	0.71	5.89
पवन क्षेत्र –2 (सीयूएफ 22%)	6.00	0.65	5.36
पवन क्षेत्र –3 (सीयूएफ 25%)	5.28	0.57	4.71
पवन क्षेत्र –4 (सीयूएफ 30%)	4.40	0.47	3.93
पवन क्षेत्र –5 (सीयूएफ 32%)	4.13	0.44	3.68
लघु हाइड्रो पावर परियोजना			
एचपी, उत्तराख.ड और उत्तर पूर्व राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	4.70	–	–
एचपी, उत्तराख.ड और उत्तर पूर्व राज्य (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	3.99	–	–
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	5.54	–	–
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	4.69	–	–

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु. / किलोवाट घण्टा)	(रु. / किलोवाट घण्टा)	(रु. / किलोवाट घण्टा)	(रु. / किलोवाट घण्टा)	(रु. / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट ख्वाइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट, तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.07	4.10	7.17	0.18	6.99
हरियाणा	3.13	4.67	7.79	0.18	7.61
महाराष्ट्र	3.14	4.77	7.91	0.18	7.73
पंजाब	3.15	4.88	8.03	0.18	7.85

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
राजस्थान	3.07	4.07	7.14	0.18	6.97
तमिलनाडु	3.07	4.03	7.10	0.18	6.92
उत्तर प्रदेश	3.08	4.17	7.25	0.18	7.07
अन्य	3.10	4.39	7.49	0.18	7.31

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.25	4.20	7.45	0.20	7.25
हरियाणा	3.31	4.78	8.08	0.20	7.89
महाराष्ट्र	3.32	4.88	8.20	0.20	8.00
पंजाब	3.33	4.99	8.32	0.20	8.13
राजस्थान	3.25	4.17	7.42	0.20	7.22
तमिलनाडु	3.25	4.13	7.37	0.20	7.18
उत्तर प्रदेश	3.26	4.27	7.53	0.20	7.33
अन्य	3.28	4.49	7.77	0.20	7.57

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.21	4.10	7.31	0.20	7.11
हरियाणा	3.26	4.67	7.93	0.20	7.73
महाराष्ट्र	3.27	4.77	8.05	0.20	7.85
पंजाब	3.28	4.88	8.17	0.20	7.97
राजस्थान	3.21	4.07	7.28	0.20	7.08
तमिलनाडु	3.20	4.03	7.24	0.20	7.04
उत्तर प्रदेश	3.22	4.17	7.39	0.20	7.19
अन्य	3.24	4.39	7.62	0.20	7.43

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.40	4.20	7.59	0.22	7.38
हरियाणा	3.45	4.78	8.23	0.22	8.01
महाराष्ट्र	3.46	4.88	8.34	0.22	8.13
पंजाब	3.47	4.99	8.47	0.22	8.25
राजस्थान	3.39	4.17	7.56	0.22	7.35

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
तमिलनाडु	3.39	4.13	7.52	0.22	7.30
उत्तर प्रदेश	3.40	4.27	7.67	0.22	7.46
अन्य	3.42	4.49	7.91	0.22	7.70

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.07	4.04	7.10	0.18	6.92
हरियाणा	3.12	4.60	7.72	0.18	7.54
महाराष्ट्र	3.13	4.70	7.83	0.18	7.65
पंजाब	3.14	4.81	7.95	0.18	7.77
राजस्थान	3.06	4.01	7.08	0.18	6.90
तमिलनाडु	3.06	3.97	7.03	0.18	6.85
उत्तर प्रदेश	3.07	4.11	7.18	0.18	7.00
अन्य	3.09	4.32	7.41	0.18	7.23

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./ किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.20	4.04	7.24	0.20	7.05
हरियाणा	3.26	4.60	7.85	0.20	7.66
महाराष्ट्र	3.27	4.70	7.97	0.20	7.77
पंजाब	3.28	4.81	8.08	0.20	7.89
राजस्थान	3.20	4.01	7.21	0.20	7.02
तमिलनाडु	3.20	3.97	7.17	0.20	6.97
उत्तर प्रदेश	3.21	4.11	7.32	0.20	7.12
अन्य	3.23	4.32	7.55	0.20	7.35

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./ किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर प्रोजेक्ट [राइस स्ट्रा एव जूलिफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित प्रोजेक्ट] तथा वाटर कूल्ड कंडेनसर और ट्रैवल ग्रेटबॉयलर के साथ					
आंध्र प्रदेश	3.39	4.13	7.52	0.22	7.31
हरियाणा	3.44	4.70	8.15	0.22	7.93
महाराष्ट्र	3.45	4.81	8.26	0.22	8.05
पंजाब	3.46	4.92	8.38	0.22	8.17
राजस्थान	3.39	4.10	7.49	0.22	7.28
तमिलनाडु	3.38	4.06	7.45	0.22	7.23
उत्तर प्रदेश	3.40	4.20	7.60	0.22	7.38
अन्य	3.42	4.42	7.84	0.22	7.62

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./ किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोगैस आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आंध्र प्रदेश	3.17	2.77	5.94	0.25	5.70
हरियाणा	2.84	3.94	6.79	0.21	6.58
महाराष्ट्र	2.55	3.89	6.43	0.18	6.25
पंजाब	2.80	3.47	6.27	0.21	6.06
तमिलनाडु	2.46	2.99	5.45	0.18	5.27
उत्तर प्रदेश	3.20	3.09	6.29	0.25	6.05
अन्य	2.79	3.36	6.14	0.21	5.94

सौर पीवी सौर थर्मल

विवरण	स्तरीकृत कुल लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (त्वरित मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट)	(रुपये / किलोवाट)	(रुपये / किलोवाट)
सौर पीवी	5.68	0.60	5.08
सौर थर्मल	12.07	1.25	10.82

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2016–17)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2016–17)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट)	(रुपये / किलोवाट)	(रुपये / किलोवाट)	(रुपये / किलोवाट)	(रुपये / किलोवाट)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आंध्र प्रदेश	2.61	3.90	6.51	0.13	6.38
हरियाणा	2.67	4.44	7.10	0.13	6.97
महाराष्ट्र	2.68	4.54	7.22	0.13	7.08
पंजाब	2.69	4.64	7.33	0.13	7.19
राजस्थान	2.61	3.87	6.49	0.13	6.35
तमिलनाडु	2.61	3.84	6.44	0.13	6.31
उत्तर प्रदेश	2.62	3.97	6.59	0.13	6.45
अन्य	2.64	4.17	6.81	0.13	6.68
बायोगैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	4.09	3.59	7.68	0.26	7.42

अनुबंध–II

राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के आदेश जारी करने की समयबद्धता

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	2016–17 के लिए टैरिफ ऑर्डर लागू			टिप्पणियां
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि–विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
1	अंडमान और निकोबार	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन (ED A&N)	31 / मार्च / 2016	06 / अप्रैल / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
2	आंध्र प्रदेश	दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (SPDCL)	31 / मार्च / 2016	31 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
3	आंध्र प्रदेश	पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (EPDCL)	31 / मार्च / 2016	31 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
4	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश (DOP, AP)	31 / मार्च / 2016	02 / फरवरी / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
5	असम	असम पावर वितरण कंपनी लिमिटेड (APDCL)	31 / मार्च / 2016	24 / जुलाई / 2015	01 / अगस्त / 2015	
6	बिहार	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (NBPDCL)	31 / मार्च / 2016	21 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
7	बिहार	दक्षिणी बिहार पावर वितरण कंपनी लिमिटेड (SBPDCL)	31 / मार्च / 2016	21 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
8	चंडीगढ़	चंडीगढ़ विद्युत विभाग (CED)	31 / मार्च / 2016	28 / दिसंबर / 2015	01 / अप्रैल / 2016	
9	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL)	31 / मार्च / 2016	30 / अप्रैल / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
10	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	31 / मार्च / 2016	29 / सितंबर / 2015*	01 / अप्रैल / 2016	*बीआरपीएल ने आयोग के समक्ष 19.04.2016 को याचिका दायर की है। इसके अलावा, आयोग ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए ष्वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), वित्त वर्ष 2016–17 के लिए संशोधित ARR, वित्त वर्ष 2015–16 के लिए ट्रूअप व्यय के लिए और वित्तीय वर्ष 2014–15 तक नियंत्रण अवधि के लिए अंतिम ट्रूअप के लिए याचिका सहित 26–5–2017 के माध्यम से याचिका को आयोग ने स्वीकार किया। आयोग ने दोनों याचिकाओं पर विचार किया और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश को 31–8–2017 को जारी किया। इस प्रकार डीईआरसी द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 में अनुज्ञप्तिधारियों के लिए कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया। इस प्रकार पूर्व वित्तीय वर्ष टैरिफ लागू था।

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	2016–17 के लिए टैरिफ ऑर्डर लागू			टिप्पणियां
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
11	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	31/मार्च/2016	29–सितंबर–2015*	01/अप्रैल/2016	* बीवाईपीएल ने आयोग के समक्ष 19.04.2016 को याचिका दायर की है। इसके अलावा, आयोग ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए "वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), वित्त वर्ष 2016–17 के लिए संशोधित ARR, वित्त वर्ष 2015–16 के लिए ट्रूअप व्यय के लिए और वित्तीय वर्ष 2014–15 तक नियंत्रण अवधि के लिए अंतिम ट्रूअप के लिए याचिका सहित 26–5–2017 के माध्यम से याचिका को आयोग ने स्वीकार किया। आयोग ने दोनों याचिकाओं पर विचार किया और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश को 31–8–2017 को जारी किया। इस प्रकार डीईआरसी द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 में अनुज्ञप्तिधारियों के लिए कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया। इस प्रकार पूर्व वित्तीय वर्ष टैरिफ लागू था।
12	दिल्ली	टाटा पावर दिल्ली वितरण लि (TPDDL)	31/मार्च/2016	29/सितंबर/2015*	01/अप्रैल/2016	*बीपीडीडीएल ने आयोग के समक्ष 07.04.2016 को याचिका दायर की है। इसके अलावा, आयोग ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए "वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), वित्त वर्ष 2016–17 के लिए संशोधित ARR, वित्त वर्ष 2015–16 के लिए ट्रूअप व्यय के लिए और वित्तीय वर्ष 2014–15 तक नियंत्रण अवधि के लिए अंतिम ट्रूअप के लिए याचिका सहित 26–5–2017 के माध्यम से याचिका को आयोग ने स्वीकार किया। आयोग ने दोनों याचिकाओं पर विचार किया और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश को 31–8–2017 को जारी किया। इस प्रकार डीईआरसी द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 में अनुज्ञप्तिधारियों के लिए कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया। इस प्रकार पूर्व वित्तीय वर्ष टैरिफ लागू था।
13	दिल्ली	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC)	31/मार्च/2016	29./सतंबर/2015*	01़अप्रैल़2016	एनडीएमसी ने आयोग के समक्ष 18.04.2016 को याचिका दायर की है। इसके अलावा, आयोग ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए "वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), वित्त वर्ष 2016–17 के लिए संशोधित ARR, वित्त वर्ष 2015–16 के लिए ट्रूअप व्यय के लिए और वित्तीय वर्ष 2014–15 तक नियंत्रण अवधि के लिए अंतिम ट्रूअप के लिए याचिका सहित 26–5–2017 के माध्यम से याचिका को आयोग ने स्वीकार किया। आयोग ने दोनों याचिकाओं पर विचार किया और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश को 31–8–2017 को जारी किया। इस प्रकार डीईआरसी द्वारा वित्त वर्ष 2016–17 में अनुज्ञप्तिधारियों के लिए कोई टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया। इस प्रकार पूर्व वित्तीय वर्ष टैरिफ लागू था।
14	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DNHPDCL)	31/मार्च/2016	07/अप्रैल/2016	01/अप्रैल/2016	
15	दमन और दीव	दमन और दीव विद्युत विभाग (ED DD)	31/मार्च/2016	06/अप्रैल/2016	01/अप्रैल/2016	

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	2016–17 के लिए टैरिफ ऑर्डर लागू			टिप्पणियां
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
16	गोवा	गोवा विद्युत विभाग (EDG)	31 / मार्च / 2016	18 / अप्रैल / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
17	गुजरात	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL)	31 / मार्च / 2016	31 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
18	गुजरात	मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (MGVCL)	31 / मार्च / 2016	31 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
19	गुजरात	उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (UGVCL)	31 / मार्च / 2016	31 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
20	गुजरात	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (PGVCL)	31 / मार्च / 2016	31 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
21	गुजरात	टोरेंट पावर लिमिटेड– वितरण सूरत	31 / मार्च / 2016	31 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
22	गुजरात	टोरेंट पावर लिमिटेड– वितरण अहमदाबाद	31 / मार्च / 2016	31 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
23	हरियाणा	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL)	31 / मार्च / 2016	01 / अगस्त / 2016	01 / अगस्त / 2016	
24	हरियाणा	दक्षिण हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड (DHBVNL)	31 / मार्च / 2016	01 / अगस्त / 2016	01 / अगस्त / 2016	
25	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि (HPSEBL)	31 / मार्च / 2016	25 / मई / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
26	झारखंड	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL)	31 / मार्च / 2016	21 / जून / 2017	01 / जुलाई / 2017	
27	झारखंड	दामोदर घाटी निगम (DVC)	31 / मार्च / 2016	18 / मई / 2018	01 / मई / 2018	एमवाईटी वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2020–21 के लिए ARR का अनुमान लगाया गया है और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 18 मई 2018 से टैरिफ का निर्धारण किया गया है
28	झारखंड	जमशेदपुर यूटिलिटी सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (JUSCO)	31 / मार्च / 2016	07 / जून / 2018	01 / जून / 2018	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए ARR और टैरिफ 07–जून–2018 को निर्धारित किया गया है
29	झारखंड	टाटा स्टील लिमिटेड (TSL)	31 / मार्च / 2016	28 / फरवरी / 2017	01 / मार्च / 2017	
30	झारखंड	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL)	31 / मार्च / 2016	07 / जून / 2018	01 / जून / 2018	एमवाईटी नियंत्रण अवधि के लिए व्यावसायिक योजना और ARR वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2020–21 तक और वित्त वर्ष 2016–17 के लिए वितरण और खुदरा आपूर्ति शुल्क 07 जून–2018 को निर्धारित किया गया है
31	कर्नाटक	बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM)	31 / मार्च / 2016	30 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
32	कर्नाटक	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड (CESC)	31 / मार्च / 2016	30 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
33	कर्नाटक	गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (GESCOM)	31 / मार्च / 2016	30 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
34	कर्नाटक	हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (HESCOM)	31 / मार्च / 2016	30 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
35	कर्नाटक	मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (MESCOM)	31 / मार्च / 2016	30 / मार्च / 2016	01 / अप्रैल / 2016	

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	2016–17 के लिए टैरिफ ऑर्डर लागू			टिप्पणियां
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
36	केरल	केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (KSEBL)	31/मार्च/2016	25/09/2014*	01/अप्रैल/2016	वर्ष 2015–16 के दौरान, आयोग ने केएसआरबी लिमिटेड के एआरआर और ईआरसी को मंजूरी नहीं दी थी क्योंकि लाइसेंसधारी ने मल्टीस्कूल फ्रेमवर्क में केएसईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2014 के अनुसार याचिका दायर नहीं की थी। लाइसेंसधारी ने उच्च न्यायालय में केएसईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2014 को चुनौती दी थी। वित्त वर्ष 2016–17 के लिए लाइसेंसधारी ने कोई याचिका दायर नहीं की थी। आयोग ने स्वप्रेरणा कार्यवाहियों को आरंभ किया और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ के अवधार.I के लिए 17–4–2017 को टैरिफ आदेश जारी किया। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया था। पिछले / नवीनतम वर्ष के लिए जारी किया गया टैरिफ आदेश अगले टैरिफ आदेश के जारी होने तक लागू रहेगा। इसके अलावा, केएसईआरसी ने परवर्ती आदेशों द्वारा टैरिफ की प्रयोज्यता को बढ़ाने के लिए स्वप्रेरणा आदेश की पहल की।
37	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप यू.टी. विद्युत विभाग (LED)	31/मार्च/2016	31/ मार्च /2016	01/अप्रैल/2016	
38	मध्य प्रदेश	सेंट्रल डिस्कॉम	31/मार्च/2016	05/ अप्रैल /2016	13/अप्रैल/2016	
39	मध्य प्रदेश	पूर्व डिस्कॉम	31/मार्च/2016	05/ अप्रैल /2016	13/अप्रैल/2016	
40	मध्य प्रदेश	पश्चिम डिस्कॉम	31/मार्च/2016	05/ अप्रैल /2016	13/अप्रैल/2016	
41	महाराष्ट्र	टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन (ज्च्छ–क्)	31/मार्च/2016	21/ अक्टूबर /2016	01/अक्टूबर/2016	
42	महाराष्ट्र	आर इंफ्रा डी ध्अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (AEML)	31/मार्च/2016	21/ सितंबर /2016	01/अक्टूबर/2016	आयोग ने एमवाईटी टैरिफ ऑर्डर के अनुसार वित्त वर्ष 2016 –17 से वित्त वर्ष 2019–20 तक तक की नियंगण अवधि के लिए टैरिफ को मंजूरी दी है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए संशोधित टैरिफ के साथ 12.09.2018 को एमटीआर आदेश जारी किया गया है। टैरिफ का निर्धारण करने में कोई देरी नहीं हुई।
43	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL)	31/मार्च/2016	03/नवंबर/2016	01/नवंबर/2016	
44	महाराष्ट्र	बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST)	31/मार्च/2016	28/सितंबर/2016	01/अक्टूबर/2016	
45	मणिपुर	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSPDCL)	31/मार्च/2016	29/ फरवरी /2016	01/अप्रैल/2016	
46	मेघालय	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MePDCL)	31/मार्च/2016	31/मार्च/2016	01/अप्रैल/2016	
47	मिजोरम	ऊर्जा और विद्युत विभाग (P-ED), मिजोरम	31/मार्च/2016	29/फरवरी/2016	01/अप्रैल/2016	
48	नगालैंड	ऊर्जा विभाग, नगालैंड (DPN)	31/मार्च/2016	21/मार्च/2016	01/अप्रैल/2016	

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	2016–17 के लिए टैरिफ ऑर्डर लागू			टिप्पणियां
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि–विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
49	ओडिशा	केंद्रीय विद्युत आपूर्ति यूटिलिटी (CESU)	31/मार्च/2016	21/मार्च/2016	01/अप्रैल/2016	
50	ओडिशा	ओडिशा लिमिटेड की उत्तर पूर्वी बिजली आपूर्ति कंपनी (NESCO)	31/मार्च/2016	21/मार्च/2016	01/अप्रैल/2016	
51	ओडिशा	साउथको	31/मार्च/2016	21/मार्च/2016	01/अप्रैल/2016	
52	ओडिशा	उड़ीसा लिमिटेड की पश्चिमी विद्युत आपूर्ति कंपनी (WESCO)	31/मार्च/2016	21/मार्च/2016	01/अप्रैल/2016	
53	पुडुचेरी	पुडुचेरी विद्युत विभाग (PED)	31/मार्च/2016	24/मई/2016	01/अप्रैल/2016	
54	पंजाब	पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL)	31/मार्च/2016	27/जुलाइ/2016	01/अगस्त/2016	
55	राजस्थान	अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड (AVVNL)	31/मार्च/2016	02/नवंबर/2017	02/नवंबर/2017	
56	राजस्थान	जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड (JdVVNL)	31/मार्च/2016	02/नवंबर/2017	02/नवंबर/2017	आयोग ने वित्त वर्ष 2016–17 और वित्त वर्ष 2017–18 के लिए तथा आयोग के अगले टैरिफ आदेश के पारित होने तक 22–9–2016 के आदेश के माध्यम से यथानिर्धारित टैरिफ को जारी रखने का निर्णय किया।
57	राजस्थान	जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड (JVVNL)	31/मार्च/2016	02/नवंबर/2017	02/नवंबर/2017	
58	सिक्किम	ऊर्जा और विद्युत विभाग, सिक्किम (EPDS)	31/मार्च/2016	11/अप्रैल/2016	01/अप्रैल/2016	
59	तमिलनाडु	तमिलनाडु उत्पादन एंड वितरण कॉर्पोरेशन लि (TANGEDCO)	31/मार्च/2016	11/अगस्त/2017	11/अगस्त/2017	ARR को वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2018–19 तक प्रोजेक्ट किया गया है, और वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ का निर्धारण किया गया है
60	तेलंगाना	तेलंगाना लिमिटेड की उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी (TSNPDCL)	31/मार्च/2016	23/जून/2016	01/जुलाई/2016	
61	तेलंगाना	तेलंगाना लिमिटेड की दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी (TSSPDCL)	31/मार्च/2016	23/जून/2016	01/जुलाई/2016	
62	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लि (TSECL)	31/मार्च/2016	22/नवंबर/2014*	01/अप्रैल/2016	* त्रिपुरा राज्य में जारी अंतिम टैरिफ ऑर्डर वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 22 नवंबर 2014 को था। आयोग ने लाइसेंस धारक को टैरिफ याचिका प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया है, लेकिन लाइसेंसधारी ने कोई याचिका दायर नहीं की है। वित्त वर्ष 2014–15 से लाइसेंसधारी द्वारा कोई भी टैरिफ याचिका दायर नहीं की गई है और न ही आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी किया गया था। इसलिए वित्त वर्ष 2014–15 के लिए टैरिफ आदेश वित्त वर्ष 2016–17 के लिए लागू है।
63	उत्तर प्रदेश	दक्षिणांचल विद्युत् वितरण निगम लि (DVVNL)	31/मार्च/2016	01/अगस्त/2016	08/अगस्त/2016	
64	उत्तर प्रदेश	कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि (KESCo)	31/मार्च/2016	01/अगस्त/2016	08/अगस्त/2016	

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	2016–17 के लिए टैरिफ ऑर्डर लागू			टिप्पणियां
			शुल्क आदेश जारी करने की तिथि– विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता	
65	उत्तर प्रदेश	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL)	31 / मार्च / 2016	01 / अगस्त / 2016	08 / अगस्त / 2016	
66	उत्तर प्रदेश	पशिचमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL)	31 / मार्च / 2016	01 / अगस्त / 2016	08 / अगस्त / 2016	
67	उत्तर प्रदेश	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड क (PuVVNL)	31 / मार्च / 2016	01 / अगस्त / 2016	08 / अगस्त / 2016	
68	उत्तर प्रदेश	नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL)	31 / मार्च / 2016	01 / अगस्त / 2016	08 / अगस्त / 2016	
69	उत्तराखंड	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन स्जक (UPCL)	31 / मार्च / 2016	05 / अप्रैल / 2016	01 / अप्रैल ध्2016	
70	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि (WBSEDCL)	31 / मार्च / 2016	28 / अक्टूबर / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
71	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन (CESC)	31 / मार्च / 2016	28 / अक्टूबर / 2016	01 / अप्रैल / 2016	
72	पश्चिम बंगाल	दामोदर घाटी निगम (DVC)	31 / मार्च / 2016	03 / मार्च / 2017	03 / मार्च / 2017	
73	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर पावर लिमिटेड (DPL)	31 / मार्च / 2016	28 / अक्टूबर / 2016	28 / अक्टूबर / 2016	
74	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IPCL)	31 / मार्च / 2016	17 / फरवरी / 2017	17 / फरवरी / 2017	

अनुबंध-III

सीजीआरएफ और ओमबड्समैन की कार्यप्रणाली

I–रिक्त पदों का सारांश

सीजीआरफ में रिक्तियां

1. बिहार राज्य में सदस्य पद के लिए सीजीआरएफ में 6 रिक्त पद
2. छत्तीसगढ़ राज्य में सदस्य पद के लिए सीजीआरएफ में 1 रिक्त पद
3. झारख.ड राज्य में सदस्य पद के लिए सीजीआरएफ में 5 रिक्त पद
4. जेईआरसी गोवा और संघशासित राज्यों में सदस्य पद के लि, सीजीआरएफ में 1 रिक्त पद
5. उड़ीसा राज्य में तीन सह–सदस्य सदस्यों के पद के लिए सीजीआरएफ में तीन रिक्तियां।
6. तमिलनाडु राज्य में सदस्य के पद के लिए सीजीआरएफ में चार रिक्तियां।
7. सीजीआरएफ के पदों को जम्मू और कश्मीर राज्य में सृजित किया जाना है।
8. महाराष्ट्र राज्य में अध्यक्ष पद के लिए 6 रिक्तियां और सदस्य के पद के लिए 5 रिक्तियां।

ओमबड्समैन में रिक्तियां

1. ओमबड्समैन का पद अभी जम्मू और कश्मीर राज्य में सृजित किया जाना है।
2. 15.11.2016 से रांची, झारखंड में लोकपाल के लिए एक रिक्ति।

II - सीजीआरएफ द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2016 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2017)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
1	असम	एपीडीसीएल APDCL, सिलचर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		एपीडीसीएल APDCL, डिब्रूगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		एपीडीसीएल APDCL, तेजपुर अंचल	0	0	0	0	0	0
		एपीडीसीएल (एलएजेड LAZ), गुवाहाटी	शून्य	3	3	शून्य	शून्य	2
		एपीडीसीएल (एलएआर LAR), रंगिया अंचल	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	1
		एपीडीसीएल APDCL, नगांव	0	0	0	0	0	0
		कुल	**शून्य**	**4**	**4**	**0**	**0**	**3**
2.	आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल APSPDCL / तिरुपति / आंध्र प्रदेश	319	114	112	321	280	18
		एपीएसपीडीसीएल APEPDCL / विशाखापत्तनम	108	173	122	159	56	14
3.	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन, पासीघाट, मियाओ दारांग, जीरो, ऐलो, तेजू	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	पटना	106	26	45	87	69	32
		मुजफ्फरपुर	163	18	13	168	157	34
		पूर्णिया	15	7	9	13	8	उल्लेखित नहीं है
		भागलपुर	64	49	24	89	25	19
		गया	26	8	16	18	13	30
		कुल	**374**	**108**	**107**	**375**	**272**	**115**
5.	दिल्ली	बीआरपीएल BRPL	41	38	53	26	16	28
		बीवाईपीएल BYPL	9	10	13	6	0	14
		टीपीडीडीएल TPDDL	153	73	93	133	87	40
		एनडीएमसी NDMC	2	1	0	3	2	4

क्र. सं.	एसईआरसी/ जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2016 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2017)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
		कुल	**205**	**122**	**159**	**168**	**105**	**86**
6.	गुजरात	डीजीवीसीएल DGVCL						
		पीजीवीसीएल PGVCL, राजकोट	15	80	77	18	0	10
		राजकोट	15	80	77	18	0	10
		पीजीवीसीएल PGVCL, भावनगर	32	92	68	56	10	14
		पीजीवीसीएल PGVCL, भुज	0	6	6	0	0	9
		यूजीवीसीएल UGVCL	10	11	17	4	0	3
		एमजीवीसीएल MGVCL	0	4	4	0	0	3
		डीजीवीसीएल DGVCL	2	56	55	3	1	11
		टीपीएल TPL– अहमदाबाद	2	18	18	2	0	12
		टीपीएल TPL सूरत	0	8	5	3	0	13
		कुल	**76**	**355**	**327**	**104**	**11**	**85**
7.	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल UHBVNL	11	7	7	11	7	14
		डीएचबीवीएनएल DHBVNL	41	136	132	45	4	27
		कुल	**52**	**143**	**139**	**56**	**11**	**41**
	हिमाचल प्रदेश		**36**	**19**	**06**	**49**	**36**	**16**

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2016 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2017)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
9.	झारखंड	एसएआईएल Sail बोकारो, झारखंड						
		जेयू.ससीओ JUSCO						
		टाटा स्टील लि						
		झारखंड उर्जा विकास निगम लि		सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।				
		वीयूएसएनएफ VUSNF, चाईबासा						
		वीयूएसएनएफ VUSNF, दुमका						
		वीयूएसएनएफ VUSNF, हजारीबाग						
		वीयूएसएनएफ VUSNF, जे,सईबी श्रेम्ठ, मेदिनीनगर						
		दामोदर वैली कॉर्पोरेशन मैथन, झारखंड						
		कुल						
10.	कर्नाटक	बीईएससीओएम BESCOM	72	16	17	71	57	7
		एमईएसओएम MESCOM	0	1	1	0	1	0
		एचईएससीओएम HESCOM	12	10	14	8	3	9
		जीईएससीओएम GESCOM	15	2	7	10	8	15
		सीईएससी CESC	0	0	0	0	0	0
		कुल	99	29	39	89	69	31
11.	केरल	सीजीआरएफ CGRF– उत्तर (KSEB)	69	46	70	45	11	93
		सीजीआरएफ CGRF–केंद्रीय (KSEB)	21	43	40	24	0	13
		सीजीआरएफ CGRF– दक्षिण (KSEB)	88	65	81	72	8	36
		त्रिचूर निगम	2	3	4	1	0	7
		केडीएचपीसीएल KDHPCL	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल	**180**	**157**	**195**	**142**	**19**	**149**

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2016 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2017)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
12.	मध्य प्रदेश	ईसीजीआरएफ ECGRF भोपाल	33	54	43	44	24	19
		ईसीजीआरएफ ECGRF इंदौर	40	113	85	68	0	31
		ईसीजीआरएफ ECGRF जबलपुर	94	1425	1467	52	1	36
		कुल	**167**	**1592**	**1595**	**164**	**25**	**86**
13.	महाराष्ट्र	भांडुप शहरी जोन	24	29	32	21	21	66
		कोल्हापुर जोन	10	30	19	21	1	5
		नासिक जोन	25	28	38	15	0	24
		कोंकण जोन	4	5	6	3	0	8
		लातूर जोन	8	6	6	8	6	7
		औरंगाबाद क्षेत्र	7	17	14	10	0	13
		अमरावती अंचल	0	6	5	1	0	10
		पुणे जोन	9	36	41	4	0	38
		नागपुर जोन	14	47	37	24	5	7
		गोंदिया जोन	0	1	1	0	0	1
		कल्याण जोन	137	87	50	170	170	67
		जलगांव जोन	6	11	9	8	0	6
		नांदेड़ जोन	1	4	1	4	4	5
		बारामती जोन	7	5	2	8	2	3
		चंद्रपुर जोन	0	5	3	2	0	3
		अकोला जोन	2	16	9	9	0	28
		बीई,सटी अंडरटेकिंग BEST Undertaking	4	5	4	5	0	4
		आर इंफ्रा डी	7	2	7	2	0	4
		टीपीसी – डी TPC&D	0	1	1	0	0	4
		एमआईएनडीएसपीएसीई	0	0	0	0	0	0
		कुल	**265**	**341**	**285**	**315**	**209**	**303**

क्र. सं.	एसईआरसी/ जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2016 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2017)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
14.	मेघालय	मेघालय, सीजीआरएफ CGRF	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
15.	ओडिशा	भुवनेश्वर	3	86	87	2	0	15
		खुर्दा	7	132	116	23	0	27
		कटक	9	634	625	18	0	27
		ढेंकनाल	26	236	229	33	0	दपस
		पारादीप	24	189	150	63	0	19
		राउरकेला	17	203	85	135	0	18
		बुर्ला	4	42	34	12	0	18
		बोलंगीर	80	124	148	56	0	32
		बालासोर	26	68	67	27	3	24
		जाजपुर रोड	3	37	28	12	1	9
		बेरहामपुर	47	115	109	53	0	39
		जयपोर	36	177	140	73	7	35
		कुल	**282**	**2043**	**1818**	**507**	**11**	**263**
16.	पंजाब	पीएसपीसीएल PSPCL, पटियाला	38	63	63	38	1	29
17.	राजस्थान	अजमेर	412	4391	4395	408		
		जयपुर	546	17296	16838	1004		
		जोधपुर	244	2627	2748	123		
18.	तमिलनाडु	तमिलनाडु	108	235	209	134	9	67

क्र. सं.	एसईआरसी/ जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2016 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2017)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
19.	उत्तर प्रदेश	आगरा	32	32	2	62	37	66
		अलीगढ़	20	48	36	32	12	55
		इलाहाबाद	91	70	74	87	36	29
		आजमगढ़	52	11	23	40	30	66
		बरेली	127	1	0	128	127	0
		बस्ती	4	13	10	7	3	45
		चित्रकूट	5	0	3	2	2	10
		फैजाबाद	25	5	5	25	20	21
		गोंडा देवीपाटन	23	17	16	24	0	0
		गोरखपुर	47	158	109	96	43	53
		ग्रेटर नोएडा	2	0	1	1	1	5
		झांसी	47	414	391	70	18	67
		कानपुर	39	5	13	31	27	18
		कानपुर, केईएससीओ KESCO	59	30	38	51	29	20
		लखनऊ	24	62	48	38	3	52
		मेरठ	51	29	30	50	31	52
		मिर्जापुर	82	3	79	6	6	46
		मुरादाबाद	39	10	14	35	0	0
		सहारनपुर	11	7	12	6	3	9
		वाराणसी	97	56	85	68	0	0
		कुल	877	971	989	859	428	614
19	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	0	5	0	5	0	पूर्णकालिक
		हरिद्वार	0	15	3	12	0	पूर्णकालिक
		गढ़वाल जोन	29	52	55	26	14	पूर्णकालिक
		कुमाऊँ जोन	74	35	65	44	50	पूर्णकालिक
		कुल	**103**	**107**	**123**	**87**	**64**	

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	दिसंबर, 2016 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2017)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या
20	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल WBSEDCL	63	221	215			53
		सीईएससी लिमिटेड CESC LTD.	3	199	197	5	0	सभी कार्य दिवस
		डीपीएससी लिए DPSC Ltd.	2	0	1	1	1	1
		डीवीसी DVC	0	0	0	0	0	0
		डीपीएल DPL	0	1	1	0	0	1
		कुल	**68**	**420**	**412**	**6**	**1**	
21.	जेईआरसी मणिपुर और मिजोरम	पीएण्डई विभाग, सीजीआरएफ P&E Department, CGRF, मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		मणिपुर राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल MSPDCL), सीजीआरएफ CGRF मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	जेईआरसी गोवा और यूटीएस	अंडमान और निकोबार द्वीप	4	0	3	1	1	40
		गोवा	11	9	9	11	0	3
		पुडुचेरी	12	18	22	8	2	63
		दमन	0	0	0	0	0	5
		सिलवासा	1	11	10	2	0	7
23.	सिक्किम	**कुल**	**28**	**38**	**44**	**22**	**3**	**118**
		सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल						
24.	छत्तीसगढ़	रायपुर	17	28	26	19	1	13
		बिलासपुर	21	49	55	15	2	37
		रायगढ़	0	0	0	0	0	0
		भिलाई	–	–	–	–	–	–
		कुल	38	77	81	34	3	50
25.	जम्मू और कश्मीर		CGRF अभी तक स्थापित नहीं हुआ है					
26.	त्रिपुरा	टीएसईसीएल–सीजीआरएफ–I, सीजीआरएफ–II, टीएसईसीएल–सीजीआर,फ–III TSECL-CGRF-I, CGRF-II, TSECL-CGRF-III	0	0	0	0	0	0
27.	नगालैंड	शून्य						
28	तेलंगाना	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।						

III ओमबड्मैन द्वारा शिकायत के निपटान की स्थिति

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	ओमबड्समैन की संख्या	दिसंबर, 2016 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2017)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) में ओमबडसमैन की बैठक की संख्या
1	असम	1	1	2	2	1	0	3
2	आंध्र प्रदेश	1	20	11	8	23	15	10
3	अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	बिहार	1	17	8	5	20	12	12
5	दिल्ली	1	4	13	15	2	0	14
6	गुजरात	1	15	23	34	4	1	41
7	हरियाणा	1	2	8	9	1	0	8
8	हिमाचल प्रदेश	1	11	3	3	11	0	1
9	झारखंड	1						
10	कर्नाटक	1	15	4	5	14	10	11
11	केरल	1	25	41	30	36	0	25
12	मध्य प्रदेश	1	5	8	6	7	2	9
13	महाराष्ट्र	2	76	49	71	53	16	92
14	मेघालय	1	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
15	ओडिशा	2	37	44	34	47	24	76
16	पंजाब	1	23	14	24	13	0	25
17	राजस्थान	1	5	69	66	8	0	फुल टाईम
18	तमिलनाडु	1	45	26	25	46	34	27
19	उत्तराखंड	1	8	8	9	7	3	0
20	उत्तर प्रदेश	1	149	85	78	156	110	342

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	ओमबड्समैन की संख्या	दिसंबर, 2016 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (जनवरी से मार्च, 2017)	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	मार्च, 2017 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही (जनवरी से मार्च, 2017) में ओमबडसमैन की बैठक की संख्या
21	पश्चिम बंगाल	2	106	102	98	110	70	48
22	जेईआरसी मणिपुर और मिजोरम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	जेईआरसी गोवा और यूटीएस	1	3	4	4	3	0	2
24	छत्तीसगढ़	1	9	9	7	11	0	64
25	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0
26	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27	जम्मू और कश्मीर	ओमबड्समैन अभी तक स्थापित नहीं किया गया।						
28	नगालैंड							
29	तेलंगाना	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।						

विनियामक फोरम (एफओआर)
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाषः +91-11-23753920 फैक्सः +91-11-23752958